कुरुक्षेत्र

जून 1983

मूल्य : 1 रुपया

संपादकीय

ग्रामीण दुग्ध केन्द्रों में और अधिक विपणन सुविधाएं जरूरी

ग्रामीण जनता की आय के प्रमुख स्रोतों में से पशुपालन भी एक है। देश के दुग्ध उत्पादन में ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश में दूध उत्पादन बढ़कर 330 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष हो गया है। ग्रामीण सहकारी समितियों द्वारा अब शहरी उपभोक्ताओं को 1971 की तुलना में ताजा दूध दुगुनी मात्रा में बेचा जाता है। डेयरी उद्योग से ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ दूध की बिक्री से दूध उत्पादकों के परिवारों की आय में औसत 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ग्रामीण पशु पालकों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करना भी डेयरी विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से है। क्योंकि गांवों में दूध का उत्पादन अधिकतर उन लोगों के द्वारा हो रहा है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण दूध की मांग भी बढ़ रही है। पिछली पशु गणना के अनुसार कुल गो पशुओं में से 20 प्रतिशत भारत में होने के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति को 122 ग्राम (1980) दूध उपलब्ध होता है जोकि संतुलित आहार के लिए जरूरी 283 ग्राम से कम है। दूध की मांग और पूर्ति के अंतर को कम करने के लिए संकर प्रजनन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गो वंशी पशुओं की दूध देने की क्षमता को सुधारा रहा है। गांवों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। संकर प्रजनन के कार्यक्रम को को अधिक बढ़ावा देने के लिए संकर नस्ल की कुछ गाभिन बछिया छोटे किसानों को उचित दामों पर दी जाती हैं।

छठी योजना अवधि के दौरान आपरेशन फ्लड-11 डेयरी विकास परियोजना के लगभग 80 लाख मूल रूप से दुग्ध उत्पादन पर आधारित परिवारों को लाभ पहुंचने की आशा है। अन्य डेयरी विकास योजनाओं से 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को भी लाभ पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त दूध एकत्र करने, संसाधित करने और उसका विपणन करने के नए तरीकों की आवश्यकता को पहचाना गया है ताकि उन छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की आय में वृद्धि हो सके जो इस परम्परागत व्यवसाय में लगे हुए हैं। पशुधन विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर और लघु तथा सीमान्त किसानों को अपनी आय में वृद्धि करने के अवसर उपलब्ध कराने में विशेष महत्व रखता है।

देश में अक्तूबर, 1982 के अंत तक लगभग 18,000 ग्रामीण डेयरी समितियों का गठन किया जा चुका है जिनमें 20 लाख किसान परिवार हैं। आनन्द पद्धति पर बनी सहकारिता के अन्तर्गत बड़े जिला सहकारिता संघ, जिसमें सैकड़ों गांव शामिल हैं, काम करते हैं। इन संघों के पास अपनी दुग्धशालाएं हैं, पशु-चारा संयंत्र हैं, पशुओं की सेहत, अच्छी नस्ल, कृत्रिम गर्भाधान, विस्तार कार्य, प्रशिक्षण संतुलित भोजन आदि की सुविधाएं हर सदस्य को दी जाती हैं। देश में दो सौ के लगभग डेयरी संयंत्र सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में हैं। सहकारिता आने से दुग्ध उत्पादकों के परिवारों की आय दुगनी हो गई है। अदायगी नियमित रूप से रोजाना की जाती है। गरीबों को अब बड़े-बड़े ब्याज की दर पर उधार लेने से छुटकारा मिला है।

दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु चारे के पोषक मान में वृद्धि की आवश्यकता है क्योंकि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पशुचारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि चारा उगाने के लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं है। पशु चारा की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धान, घास, भूसा, तिलहन इत्यादि सह उत्पादों को पशु चारे के रूप में उपयोग करने हेतु कई शोध अध्ययन एवं प्रयोग चल रहे हैं। रोग नियंत्रण डेयरी विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु चिकित्सा सुविधाओं को शीघ्र और ठीक समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। छठी योजना में 2500 नए पशु चिकित्सा संस्थान स्थापित किए जाएंगे और टीकों का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। हैदराबाद में 250 लाख टीकों के उत्पादन क्षमता वाली एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यह टीके मुंह पका तथा खुर पका रोग पर नियंत्रण हेतु हैं।

विगत वर्षों में डेयरी विकास कार्यों के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में काफी सुधार आया है लेकिन अभी भी देश में दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य बिचौलिए और कई अनावश्यक तत्व विद्यमान हैं जिनके कारण दुग्ध उत्पादक कई लाभों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। उत्पादक चाहते हैं कि दूध की उन्हें और अच्छी कीमत मिले लेकिन जब तक वे विपणन क्रियाकलापों में स्वयं भाग नहीं लेंगे तब तक उन्हें बाजार की वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं होगा। फ्लड आपरेशन का भी यही लक्ष्य है कि दुग्ध उत्पादक इस यस्थिति में हों कि वे दूध की वसूली और विपणन सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन स्वयं कर सकें।□

मज़दूर मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

एक प्रति : 1 रु०, वार्षिक चन्दा : 10 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : एस० एल० जायसवाल

सहायक व्यापार व्यवस्थापक :

एल० आर० बवा

सहायक निदेशक (उत्पादन) :

के० आर० कृष्णन

दूरभाष : 382406

सम्पादक : श्रीमती सुमन शर्मा

उपसम्पादक : राधे लाल

आवरण पृष्ठ : परमार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 28 **ज्येष्ठ–आषाढ़ 1905** **अंक 8**

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

राजस्थान में डेयरी विकास की प्रगति और चुनौतियां 2
अशोक शर्मा

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 5

आधुनिक और आत्मनिर्भर डेयरी उद्योग की ओर 6

दूध के अधिक उत्पादन के लिए पौष्टिक चारा -- एक अध्ययन रिपोर्ट 8
सी० बी० सिंह * आर० के० पटेल

मजबूरी (कविता) 9
जगदीश चन्द्र शर्मा

किसानों पर प्रकृति का वज्र प्रहार 13
महेन्द्र पाल सिंह

नगालैंड के गांवों में सेना द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार 14
मेजर के० सी० शर्मा

श्वेत क्रान्ति की ओर बढ़ता हरियाणा 16
श्रीमती मिथलेश सिंह

बीस-सूत्री कार्यक्रम की प्रगति 18

ग्रामीण बेरोजगारी : समस्या एवं निवारण 20
राधामोहन श्रीवास्तव

देश के विभिन्न भागों में सूखे तथा अकाल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को विशेष सहायता 22

कल्पना में श्रम के पंख जोड़ते चलो (कविता) 24
हेमन्त गोस्वामी

ग्रीष्म ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय 25
वैद्य गोपाल सहाय शर्मा

तक्र (मट्ठे) से उपचार 25
रश्मि अग्रवाल

रोशनी की ओर (कहानी) 26
डा० पुष्पलता भट्ट 'पुष्प'

केन्द्र के समाचार 30

अंतर (कविता) 31
पंकज आनन्द

नई तकनीक+नई चेतना=नई उपलब्धियां 32
शक्ति त्रिवेदी

राजस्थान में डेयरी विकास की प्रगति और चुनौतियां

—अशोक शर्मा

आरम्भ से ही राजस्थान की ग्रामीण जनता के अधिकांश भाग की आय का प्रमुख स्रोत पशुपालन रहा है। राज्य में प्रतिदिन 86 लाख लिटर दूध का उत्पादन होता है जो कि देश के कुल दूध उत्पादन का 11 प्रतिशत है। देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धि की मात्रा 122 ग्राम है जबकि राजस्थान में यह मात्रा 280 ग्राम है। इस प्रकार दूध उपलब्धि के मानचित्र में राजस्थान देश में सबसे अधिक प्रतिष्ठित है जो राजस्थान के लिए गौरव की बात है। दूध का यह उत्पादन अधिकतर उन लोगों के द्वारा हो रहा है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर और विपन्न हैं। प्रदेश में कुल दैनिक उत्पादित दूध का लगभग एक तिहाई भाग आवश्यकता से अधिक है। विपणन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पहले, राज्य के दुग्ध उत्पादक इस अतिरिक्त दूध को कम आय वाले पदार्थों—जैसे घी एवं मावा बनाने में ही उपयोग कर लिया करते थे। अतः आवश्यकता से अधिक "अतिरिक्त" दूध की उचित विपणन व्यवस्था एवं दुग्ध उत्पादन वर्द्धन हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत में पशु एवं डेयरी विकास का एक वृहत कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राजस्थान सरकार ने भी राष्ट्रीय योजना के इस लक्ष्य की ओर विगत दशक में पर्याप्त ध्यान दिया है और इस हेतु राज्य स्तर पर एक फेडरेशन भी बना दिया गया है। दूध उत्पादन में वृद्धि एवं उसके विपणन की उचित व्यवस्था कर ग्रामीण पशुपालकों का आर्थिक-स्तर ऊंचा करना ही डेयरी विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पहले भी राज्य में डेयरी कार्यक्रम के विकास की समुचित संभावनाएं विद्यमान थीं किन्तु यह संभावना क्षेत्र योजनाकारों की दृष्टि से प्रायः उपेक्षित ही रहा। उस समय के एक अध्ययन के अनुसार राज्य में, उपलब्ध दूध की 56 प्रतिशत मात्रा का उपयोग घी बनाने में 3.25 प्रतिशत दूध का मावा बनाने में तथा 32.16 प्रतिशत दूध घरेलू उपयोग में काम आता था। शेष 8.59 प्रतिशत दूध ही आस-पास के क्षेत्र में विपणन किया जाता था। वैसे तो राजस्थान का अधिकांश भाग सूखाग्रस्त रहता है जिससे पशुपालन और डेयरी कार्यक्रम यहां स्थायी रूप से कृषक की आय का केन्द्र नहीं बन पाया। किन्तु डेयरी कार्यक्रम पर विगत दशक में राजस्थान सरकार ने जो ध्यान केन्द्रित किया है, उसके परिणामों ने स्थिति को काफी हद तक परिवर्तित कर दिया है।

डेयरी संगठन का विकास

1957 में राजस्थान सरकार ने अपने तत्कालीन कृषि विभाग के संगठनात्मक ढांचे से पशुपालन को पृथक कर एक स्वतंत्र विभाग बना दिया। 1958 में, जयपुर नगर के उपभोक्ताओं को दूध उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष कार्यक्रम "जयपुर दुग्ध वितरण योजना" आरम्भ किया गया। इस योजना की क्रियान्विति में एक प्लांट न्यूजीलैण्ड सरकार की सहायता से 1965 में स्थापित किया गया जो अभी भी कार्यशील है। 1967 में जयपुर दुग्ध वितरण योजना को पशुपालन से अलग कर एक विभाग का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रीय दूध योजना के उत्तर भारतीय "आपरेशन फ्लड" में 1971 में राजस्थान को शामिल कर लिए जाने के बाद सर्वप्रथम यह सोचा गया कि राजस्थान में डेयरी विकास की विपुल संभावनाएं विद्यमान हैं। राजस्थान सरकार के "स्पेशल स्कीम ऑर्गेनाइजेशन" द्वारा राज्य में पशुधन विकास व डेयरी विकास की अनेक परियोजनाएं तैयार की गईं जिन्होंने "इण्डियन डेयरी कारपोरेशन", "नेशनल को-आपरेटिव डवलपमेन्ट कारपोरेशन", और विश्व बैंक के "इन्टरनेशनल डवलपमेन्ट एसोसिएशन" से पर्याप्त आर्थिक सहायता जुटाने में निर्णायक भूमिका अदा की। इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप 1973-1974 में राजस्थान के 6 जिलों में दुग्ध सहकारी समितियों का कार्य आरम्भ हो सका। 31 मार्च 1975 को राजस्थान डेयरी डवलपमेन्ट कारपोरेशन की स्थापना की गई। फरवरी 1976 में जयपुर दुग्ध वितरण योजना को भी कारपोरेशन से सम्बद्ध कर दिया गया। विकास की इसी प्रक्रिया में अक्टूबर 1977 में दुग्ध उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने एक फेडरेशन के गठन का निर्णय लिया और इस प्रकार अब तक के सभी संगठनों का शीर्षस्थ संगठन "राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन' 3 अक्तूबर 1977 को पंजीकृत किया गया। राज्य के समस्त डेयरी प्लांटों तथा डेयरी संगठनों का

संचालन अब इस शीर्षस्थ संस्था को स्थानांतरित कर दिया गया है।

डेयरी प्रबन्ध

राजस्थान का सम्पूर्ण डेयरी कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर आयोजित किया गया है। योजना निर्माताओं का संकल्प यह था कि जिन लोगों के लिए यह योजना है, उसका संचालन भी उन्हीं लोगों द्वारा होना चाहिए। इसीलिए इसके संचालन की व्यवस्था में दुग्ध उत्पादन को नीचे से लेकर सर्वोच्च स्तर तक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वर्तमान में यह कार्यक्रम तीन स्तरों पर संगठित किया हुआ (1) ग्राम स्तर (2) जिला स्तर और (3) राज्य स्तर।

(1) ग्राम स्तर : दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति

दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम की यह आधारभूत इकाई ग्राम स्तर पर गठित की गई है। इनका गठन राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 के अन्तर्गत किया गया है। समिति की सदस्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह बालिग होने के साथ-साथ पशु रखता हो और सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व संबंधित समिति में कम से कम तीन माह तक लगातार दूध विक्रय किया हो। समिति के पंजीकरण हेतु कम से कम तीस सदस्य होने आवश्यक हैं। समिति के कार्य संचालन हेतु 9 सदस्यों की एक प्रबन्ध कार्यकारिणी होती है। दैनिक कार्यों के लिए एक वेतन भोगी सचिव की नियुक्ति की जाती है। समिति दूध उत्पादकों से दूध क्रय करती है, उसका परीक्षण कर उस आधार पर मूल्य का भुगतान करवाती है। ये समितियां जिला स्तरीय सहाकारी संघ से सम्बद्ध होती है। दूध को क्रय करने के बाद समितियां संघ के दूध संयंत्र या अवशीतन केन्द्र में पहुंचाती हैं जहां से दूध के आगे वितरण की व्यवस्था संचालित होती है।

दिसम्बर 1981 तक राज्य में कुल 2752 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यशील थीं जबकि वर्ष 1972-73 में इनकी संख्या मात्र 61 ही थी। इस प्रकार गत दशक में श्वेत क्रान्ति की यह प्रगति निश्चय ही स्पृहणीय मानी जाएगी।

(2) जिला स्तर : दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ

डेयरी विकास कार्यक्रम में इन ग्रामीण सहकारी समितियों के कार्यों में सुसमन्वय, पर्यवेक्षण, नियन्त्रण एवं संचालन की दृष्टि से अब तक 12 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की स्थापना की जा चुकी है, जिसका कार्य क्षेत्र 19 जिलों में फैला हुआ है। शेष जिलों में से सीकर, झुन्झुनू तथा गंगानगर जिलों में भी संकलन का कार्य प्रगति पर है। डेयरी के संचालन सूत्रों को आशा है कि शीघ्र ही इन जिलों में दुग्ध उत्पादक संघों की स्थापना कर दी जाएगी।

इन जिला स्तरीय सहकारी संघों का प्रबन्ध भी एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। यह संचालक मंडल दुग्ध समितियों के चयनित प्रतिनिधियों, राज्य सरकार डेयरी फेडरेशन एवं वित्त प्रदाय संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है। दैनिक कार्य संपादन के लिए एक प्रबन्धक एवं अनेक तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। जिला संघ का मुख्य कार्य दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन कर उन समितियों द्वारा क्रय किए गए दुग्ध की विपणन व्यवस्था करना है। संघ समितियों के माध्यम से पशुपालकों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सुविधाएं जैसे उचित मूल्य पर संतुलित पशु आहार, साप्ताहिक एवं आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा, उन्नत एवं विदेशी सांडों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान, अनुदान दरों पर उन्नत चारों के बीज आदि उपलब्ध कराता है।

(3) राज्य स्तर : राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन :

राजस्थान में डेयरी विकास के समग्र मानचित्र का रेखांकन और उसका सम्पूर्ण नियोजन और नियंत्रण राज्य स्तर पर स्थापित डेयरी फेडरेशन द्वारा किया जाता है। 3 अक्तूबर 1977 को स्थापित इस फेडरेशन के पूर्व यह कार्य राज्य स्तरीय डेयरी विकास निगम द्वारा किया जाता था जिसका अब फेडरेशन में विलय हो गया है। फेडरेशन राज्य स्तर पर डेयरी विकास सम्बन्धी सभी कार्यों का सम्पादन करने वाला सर्वोच्च और शीर्षस्थ निकाय है। इसके संचालक मंडल में इस समय एक जनप्रतिनिधि विधायक रामसिंह विश्नोई अध्यक्ष हैं तथा वरिष्ठ आई०ए०एस० अधिकारी पी०बी० माथुर इसके प्रबंध संचालक हैं। संचालक मंडल में इनके अतिरिक्त दस अन्य अधिकारी भी सदस्य हैं।

डेयरी प्लांट

विभिन्न समितियों के माध्यम से संकलित दूध को कीटाणु रहित करने एवं अधिक आय वाले दुग्ध पदार्थ उत्पादित करने हेतु राज्य के विभिन्न स्थानों पर डेयरी संयंत्र स्थापित किए गए हैं। बीकानेर, जोधपुर एवं अलवर में एक लाख लिटर प्रतिदिन क्षमता के, अजमेर में 30 हजार लिटर प्रतिदिन तथा जयपुर में 1.50 लाख लिटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र इस समय कार्यशील हैं। बीकानेर व जोधपुर के संयंत्रों की क्षमता 1 से 1.50 लाख एवं अजमेर संयंत्र की क्षमता 30 हजार से 1 लाख लिटर प्रतिदिन की बढ़ाई जा रही है जो इसी वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है। कोटा, उदयपुर में 25 हजार लिटर व हनुमानगढ़ तथा भीलवाड़ा में 1 लाख लिटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र इस समय निर्माणाधीन हैं। इन सभी डेयरी प्लांटों के क्रियाशील होने पर इनकी दूध उत्पादन क्षमता 10.50 लाख लिटर प्रतिदिन होगी।

अवशीतन केन्द्र

दूरस्थ गांवों से संकलित दूध को ठंडा कर डेयरी प्लांट तक लाने हेतु विभिन्न मध्य मार्गों पर डेयरी फेडरेशन ने अवशीतन

केन्द्र बनाए हैं। वर्तमान में पोखरण, पाली, वालोतरा, बाड़मेर, मेड़तासिटी, लूणकरणसर, सरदारशहर, दौसा, कोटपुतली, ब्यावर, मालपुरा, तिजारा, झुंझनू, गंगापुरसिटी व भीलवाड़ा में 10 से 30 हजार लिटर प्रतिदिन क्षमता के अवशीतन केन्द्र क्रियाशील हैं।

इनके अतिरिक्त 14 अन्य स्थानों पर भी अवशीतन केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

नगर दुग्ध वितरण

राज्य के असंख्य गांवों से संकलित दूध को दूध संयंत्रों में कीटाणु रहित करने के बाद राज्य के बड़े शहरों के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुलभ कराया जाता है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर में प्री पैक संयंत्र लगाकर आधा लिटर दूध थैलियों में भरकर विपणन किया जाता है। जयपुर नगर में इस व्यवस्था के अलावा अब तक 18 स्वचालित शीतल दूध केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है तथा दस स्वचालित केन्द्रों के निर्माण को गति दी जा रही है

दुग्ध पदार्थों का निर्माण

डेयरी फेडरेशन के नए प्रबंध संचालक राजस्थान डेयरी को वैसी ही प्रतिष्ठा, सम्मान व नाम दिलाना चाहते हैं, जो "अमूल" और "मदर डेयरी" को प्राप्त है। कोई भी संगठन अपने कार्य की उच्च गुणवत्ता (क्वालिटी) के कारण ही लोकप्रिय हो सकता है अतः जयपुर, जोधपुर एवं अलवर दूध प्लांटों पर दूध जन्य पदार्थों जैसे घी, मक्खन, दुग्ध चूर्ण, पनीर आदि का निर्माण शुरु हो गया है। इन सभी उत्पादनों को "सरस" मार्का से विपणन किया जा रहा है।

राजस्थान डेयरी के पास इन सभी कार्यों में दूध के उपयोग के बाद भी जो दूध बचता है उसे दिल्ली की मदर डेयरी व दिल्ली दुग्ध योजना को भेज दिया जाता है।

डेयरी विकास की प्रगति

जैसा कि आरंभ में उल्लेख किया जा चुका है राजस्थान में डेयरी विकास का सुसंगठित कार्यक्रम लगभग 1972-73 से आरम्भ हुआ था। यह कार्यक्रम ग्रामीण कृषकों-पशुपालकों और कमजोर वर्गों के उत्थान में बहुत सफल रहा है

राज्य के 1.21 लाख किसान परिवारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक एवं सामाजिक लाभ पहुंचाया है। पिछले वर्षों में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रति कृषक परिवार की वार्षिक आय लगभग 600/— रुपये से बढ़कर 3000/— रुपये से अधिक हो गई है। आय के बढ़ने से इन परिवारों की विपन्नता की दशा में परिवर्तन आया है और वे अधिक स्वावलम्बी व सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा अर्जित कर सके हैं। राज्य के दुग्ध उत्पादकों को जहां 1972-73 में 1.35 लाख रुपये का भुगतान किया गया था वहीं 1981-82 में यह भुगतान 1686 लाख रुपये के नए कीर्तिमान तक पहुंच गया है। दुग्ध उत्पादकों के पशुओं की बीमारियों आदि में चिकित्सा सुविधा उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराने का यह काम पहली ही बार हुआ है। प्रति वर्ष इस आर्थिक सामाजिक लाभ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है जिससे वास्तव में गरीबों को योजना का सही व प्रत्यक्ष लाभ मिलना संभव हुआ है।

विकास की चुनौतियां

राजस्थान में डेयरी विकास की इस विलक्षण प्रगति के मार्ग में अनेक समस्याएं हैं। इस सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी के लिए मैं राज्य डेयरी फेडरेशन के प्रबन्ध संचालक से मिला तो उन्होंने बताया कि (1) हर वर्ष पड़ने वाला अकाल और सूखा राजस्थान में डेयरी विकास की प्रमुख प्राकृतिक बाधा है। 1980-81 में दूध के उत्पादन में आई गिरावट के लिए भी यही प्राकृतिक विपदा उत्तरदाई रही है। (2) दूर दराज के ग्रामीण अंचलों से दूध इकट्ठा करने में यातायात के साधनों, पक्की सड़कों और संचार माध्यमों का अभाव भी उनके अनुसार एक गंभीर बाधा है। यद्यपि इन बाधाओं का सम्बन्ध राजस्थान के समग्र विकास से है। (3) दूध उत्पादन की तीसरी व्यावहारिक समस्या "दूध की कीमत" से सम्बन्धित है। इस मामले में परस्पर अन्तर्गुथित दोहरे हितों की टकराहट होती है। दुग्ध उत्पादक दूध का खरीद मूल्य बढ़ाने की निरन्तर मांग करते हैं किन्तु उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराने के संकल्प का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये हितों की टकराहट एक सतत बनी रहने वाली समस्या है। दूध का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली भेजा जाता है जहां से अधिक मूल्य न मिल पाने के कारण यहां का खरीद मूल्य बढ़ाना संभव नहीं हो पाता। (4) राज्य में डेयरी कार्यक्रम की उक्त सफलता का प्रमुख श्रेय डेयरी में कार्यरत कार्मिकों को ही दिया जाना चाहिए। किन्तु दूसरी ओर, डेयरी कर्मचारियों में आन्तरिक असंतोष की ज्वाला निरन्तर बढ़ रही है। कर्मचारियों का पक्ष यह शिकायत करता पाया जाता है कि डेयरी संचालकों ने कोई सुस्पष्ट कार्मिक नीति का निर्माण अभी तक भी नहीं किया है। भर्ती, पदोन्नति और प्रशिक्षण की स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए। एक सुसंगत कार्मिक नीति व सेवा शर्तों के अभाव में कर्मचारियों का मनोबल बनाए नहीं रखा जा सकता। गत वर्ष की प्रलयकारी बाढ़ से बाल-बाल बचा करोड़ों की लागत से बना "गांधी नगर डेयरी काम्प्लेक्स" राज्य की एक विलक्षण उपलब्धि है। इस उपलब्धि और विकास के कीर्तिमानों को निरन्तर प्रगति की ओर बनाए रखने के लिए राज्य सरकार व डेयरी संचालकों को बाधाओं को दूर करने की दिशा में शीघ्र कदम उठाने चाहिए। ऐसा करने से भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक न्याय के उदात आदर्श को मूर्त रूप देने में राजस्थान डेयरी का योगदान आगे आने वाले वर्षों में स्पृहणीय माना जाएगा। □

23, शापिंग सेन्टर
जनता कालोनी
जयपुर-302004

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 1982–83 के दौरान सहायक अनुदान के केन्द्रीय अंश के रूप में मार्च-अप्रैल की अवधि के दौरान 6556.96 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। इससे 1982–83 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल बंटन 17617.96 लाख रुपये के हो गए हैं।

28 फरवरी, 1983 तक संकलित की गई सूचना के अनुसार, कार्यक्रम के अन्तर्गत 22.71 लाख लाभ भोगियों को लिया गया है जिनमें से 9.24 लाख लाभभोगी (40.6 प्रतिशत) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं। 23619.56 लाख रुपये की धनराशि उपयोग में ले ली गई है। 48244.64 लाख रुपये का आवधिक ऋण वितरित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 1447.53 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

इस प्रकार, गत वित्तीय वर्ष अर्थात 1982–83 के दौरान अब तक खाद्यान्नों के मूल्य सहित 20045.55 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से सम्बन्धित केन्द्रीय समिति की 26 मार्च, 1983 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 20,000.00 लाख रुपये की धनराशि तथा 3,22,226 टन खाद्यान्नों की मात्रा अनंतिम रूप से आबंटित की गई है।

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत वर्तमान प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाना।

समीक्षाधीन माह के दौरान वर्तमान प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 22.20 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के दौरान कुल 71.90 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई गई है।

ग्रामीण विकास में राज्य अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को सुदृढ़ बनाना।

समीक्षाधीन माह के दौरान ग्रामीण विकास में राज्य अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 4.50 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। वर्ष 1982-83 के दौरान कुल 13.89 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

प्रशिक्षण पाठयक्रमों, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन

समीक्षाधीन माह के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के आयोजन के लिए विभिन्न संगठनों को 1.00 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के दौरान कुल 4.25 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	बंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1. मध्य प्रदेश	314.50
2. सिक्किम	1.00
3. कर्नाटक	300.00
4. उड़ीसा	174.13
5. आन्ध्र प्रदेश	186.50
6. गुजरात	150.00
7. केरल	43.00
8. जम्मू तथा काश्मीर	8.00
9. मणिपुर	10.00
10. मेघालय	10.00
11. नगालैण्ड	15.00
12. महाराष्ट्र	78.80
13. उत्तर प्रदेश	90.72
14. चण्डीगढ़	4.00
15. दादरा तथा नगर हवेली	8.00
16. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	16.00
17. दिल्ली	4.00
18. लक्षद्वीप	4.68
19. मिजोरम	3.20
20. गोवा दमन तथा दीव	16.00
21. अरुणाचल प्रदेश	10.00
	1447.53

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों को 1304.70 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है :—

[शेष पृष्ठ 23 पर]

आधुनिक और आत्मनिर्भर डेयरी उद्योग की ओर

कृषि और ग्रामीण विकास की योजना में डेयरी विकास को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसमें गांवों के गरीब लोगों, विशेषतया छोटे और सीमान्त किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ पहुंचाने की काफी क्षमता मौजूद है। एक अच्छी और निष्पादित डेयरी विकास परियोजना ग्रामीण विकास के लिए एक तन्त्र के रूप में कार्य कर सकती है, विशेषकर भारत में जहां अधिकांश विकसित देशों की तरह अधिक बल दुधारू पशुओं में संगठित बड़े पशुयूथों के जरिए नहीं दिया जाता है, बल्कि यह उन लाखों किसानों के लिए जिनका कृषि प्रमुख धन्धा है, पूरक क्रियाकलापों द्वारा अतिरिक्त आय का सृजन करती है। आपरेशन फ्लड में, राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना 1970 से क्रियान्वित की जा रही है : दूध उत्पादकों के ग्रामीण स्तरीय सहकारी समितियों और जिला स्तरीय सहकारी संघों के गठन पर जोर दिया जा रहा है और आवश्यक आदानों, परिसंस्करण और विपणन सुविधाओं की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।

आपरेशन फ्लड-2

आपरेशन फ्लड-2 देश में सक्षम, आधुनिक और स्वतः सम्पोषित डेयरी उद्योग की नींव तैयार करने के लिए बनाई गई है। इसे 1979 से 485.00 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत दो राज्यों अर्थात् मेघालय और मणिपुर को छोड़कर समस्त अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल कर लिए जाने का प्रस्ताव है और भारतीय डेयरी निगम के साथ मूल रूप में सहमति प्रकट की है तथा भावी डेयरी विकास योजनाएं भी भेजी हैं, जिन्हें 1982-83 से क्रियान्वित करने के लिए हाथ में लिया गया है। जो प्रमुख कार्यकलाप शुरू किए गए हैं, उनमें ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का संगठन सहकारी संरचना के माध्यम से तकनीकी आदानों की व्यवस्था और ग्रामीण दुग्ध क्षेत्रों तथा महानगरीय डेयरियों में परिसंस्करण क्षमता और विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है।

अक्तूबर, 1982 के अन्त तक उपहार में मिली जिन्सों की बिक्री से भारतीय डेयरी विकास ने 156.2 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की है, इसमें से 111.10 करोड़ रुपये देश में डेयरी विकास कार्य-कलापों पर व्यय किए गए। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास महानगरों में 31 लाख लिटर प्रतिदिन की दुग्ध परिसंस्करण क्षमता प्राप्त की गई है। विभिन्न दुग्ध प्रवण क्षेत्रों में लगभग 45 लाख लिटर प्रति दिन की ग्रामीण डेयरी परिसंस्करण क्षमता प्राप्त की गई है। अक्तूबर, 1982 के अन्त तक 20.18 लाख कृषि परिवारों को शामिल करके 17,850 ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियां गठित की गई हैं। अक्तूबर, 1981 में कुल दुग्ध अधिप्राप्ति 25.20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन थी, जो अक्तूबर, 1982 में बढ़कर 32.36 लाख किलोग्राम हो गई। 1969-70 में देश में दुग्ध उत्पादन 207.4 लाख मीटरी टन था, 1981-82 में यह बढ़कर 330 लाख मीटरी टन हो गया। 1969-70 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध खपत सबसे कम अर्थात् 107 ग्राम थी जो तब से तेजी से बढ़ती हुई 1981-82 के अन्त तक 131 ग्राम प्रतिदिन हो गई। तथापि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 201 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पोषाहार की आवश्यकता का सुझाव दिया है।

राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड

आपरेशन फ्लड परियोजना की एक अन्य विशेषता दुग्ध संग्रह और अधिप्राप्ति में क्षेत्रीय और मौसमी असन्तुलनों को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की स्थापना करना है, और विभिन्न मांग केन्द्रों को दूध की समान आपूर्ति को बनाए रखना है। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड को 26.20 लाख लिटर की क्षमता के 75 लम्बी दूरी के रेल दुग्ध टैंकर मुहैया कराके सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, अक्तूबर, 1982 के अन्त तक 59.86 लाख लिटर की क्षमता के 521 सड़क दुग्ध टैंकरों का उपयोग करना शुरू हो गया था। इस प्रकार से दूध की ढुलाई की कुल क्षमता 84.50 लाख लिटर हो गई है। दुग्ध चूर्ण, मक्खन और अन्य दुग्ध उत्पादनों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में 6500 मीटरी टन भण्डारण का भी सृजन किया गया है।

दूध की सुरक्षित पैकिंग

देश में उपभोक्ताओं की विभिन्न मांगों को पूरा करने और किराना जिन्सों की तरह दूध की बिक्री की व्यवस्था करने हेतु परतदार आधानों में दूध की सप्लाई के लिए परतदार कागज तैयार करने की क्षमता सृजित की गई है। बड़ौदा के निकट इटौला में परतदार कागज तैयार करने के लिए भारतीय डेयरी निगम द्वारा संस्थापित संयंत्र पूरा होने वाला है और संयंत्र में उत्पादन परीक्षण पहले ही शुरू हो चुका है। गुजरात में सूरत, राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इन्दौर और आन्ध्र प्रदेश में संगम जागरलामुडी में स्थापित

किए जा रहे परिसुरक्षित दुग्ध पैकिंग केन्द्र पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। लगभग सप्ताह तक सुरक्षित रखे जाने वाले 1 लाख लिटर निर्जीवीकृत दूध प्रतिदिन पैक करने के लिए प्रत्येक केन्द्र की स्थापना की गई है।

खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण

खुरपका और मुंहपका रोग को, जोकि दुग्ध उत्पादन को काफी नुकसान पहुंचाता है, प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आपरेशन फ्लड-2 के भाग के रूप में भारतीय डेयरी निगम द्वारा हैदराबाद में खुरपका मुंहपका टीका उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इस संयंत्र की प्रति वर्ष टीके की 250 लाख चनु-सयोजक मात्रा उत्पादित करने की क्षमता है। संयंत्र का मुख्य भाग पूरा होने को है और सभी उपस्कर लगाए जा चुके हैं। जैविक संयंत्र शुरू करने का कार्य चल रहा है। प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी और संयंत्र का मुख्य भाग ब्रिटेन की वैल्फेयर फाउन्डेशन द्वारा प्रदान किया गया है और परियोजना का क्रियान्वयन ब्रिटिश सरकार की सहायता से किया जा रहा है। पशुओं हेतु एक रोग मुक्त क्षत्र की स्थापना के लिए एक वृहत टीका कायक्रम की पद्धति और संगठन का अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शी परियोजना के रूप में तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत भारतीय डेयरी निगम ने दुधारू पशुओं के चकत्ता तथा रोगनिरोधक टीकों के लिए पुनः एक टीका योजना शुरू की है।

राजस्थान, मध्यप्रदेश और कर्नाटक में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त डेयरी परियोजनाएं

विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में डेयरी विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अक्तूबर, 1982 के अन्त तक इन राज्यों में 11.40 लाख लिटर प्रतिदिन दुग्ध परि-संस्करण क्षमता का सृजन किया गया। इन तीनों राज्यों की डेयरियों में अक्तूबर, 1981 में दूध की क्षमता 4.15 लाख लिटर प्रतिदिन थी, अक्तूबर, 1982 में यह बढ़कर 5.35 लाख लिटर प्रतिदिन हो गई। अक्तूबर, 1981 में ग्राम डेयरी सहकारी समितियों की संख्या 3106 थी और इनके अन्तर्गत 3.04 लाख फार्म परिवार थे। अक्तूबर, 1982 म इनकी संख्या बढ़कर 3757 समितियां हो गई तथा इनके तहत 3.52 लाख फार्म परिवार आ गए। अक्तूबर, 1981 में सहकारी समितियों द्वारा दूध की अधिप्राप्ति 3.24 लाख फार्म किलोग्राम प्रतिदिन थी, जो अक्तूबर, 1982 में बढ़कर 4.59 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो गई। □

ग्रामीण पशुपालकों के लिए इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टर

रामकुमार

राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड नामक एक सार्वजनिक संस्थान ने देश के दस राज्यों के विभिन्न ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों/संघों में लगभग 1000 इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टर लगा कर भारत के गांवों में अभिनव इलेक्ट्रोनिक तकनीक का संचार किया है। इससे देश की ग्रामीण पशुपालक अर्थव्यवस्था में एक नई क्रांति लाई जा सकी है क्योंकि इससे दूध वालों की सहकारी समितियों/संघों से शीघ्र एवं उचित मूल्य मिलने लगा है।

इस कम्पनी की स्थापना इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (भारत सरकार संस्थान) एवं राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेण्ट एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के निर्माण के लिए किया गया है। इलेक्ट्रोनिक विभाग एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास मण्डल की मदद से 100 लाख रुपये की लागत की यह परि-योजना 2000 (दो हजार) इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टर प्रति वर्ष निर्माण करने के लिए स्थापित की गई है। ऐसे उपकरण देश में पहली बार बनाए जा रहे हैं जिनके लिए एन० फौस, डेनमार्क, से तकनीकी अनुबन्ध किया गया है; जिसे डेयरी उपकरण बनाने में विश्व में ख्याति प्राप्त है। राष्ट्रीय डेयरी विकास मण्डल एवं भारतीय डेयरी निगम को ऐसे उपकरणों की काफी आवश्यकता है।

ऐसे उपकरण के कई लाभ हैं। इससे दूध का गाढ़ापन सही मायने में आंका जाता है। गाढ़ेपन की प्रतिशतता को इसके जरिए प्राप्त डिजिटल अंकों में तुरन्त पढ़ा जा सकता है। अतः पलशुपालकों को तुरन्त एवं सही भुगतान सम्भव हो पाता है। इस प्रक्रिया में दूध की किस्म बनी रहती है। साथ ही मिला-वट की सम्भावनाएं कम और अच्छा दूध पैदा करने को प्रोत्साहन भी मिलता है।

इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टर की काफी मांग है जिसे पूरा करने के लिए इस परि-योजना को आरम्भ किए जाने के छह माह के दौरान ही इसमें उत्पादन आरम्भ कर दिया गया। अभी एक किराए के स्थान में यह कार्य जारी है। कम्पनी का नया भवन जयपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित कनकपुरा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में लगभग पूरा हो गया है।

इस उद्योग द्वारा ग्रामीणों को ऐसे उपैकरणों के रखरखाव एवं सम्भाल के प्रति जानकार करने के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। उपकरणों की स्थापना के बाद ग्रामीण सहकारी समितियों के स्तर पर उनके रख-रखाव का पुख्ता प्रबन्ध किया गया है। गुजरात में ऐसे उपकरण सर्वाधिक संख्या में इस उद्योग द्वारा लगाए गए हैं अतः वहां आनन्द शहर में एक रख-रखाव केन्द्र (मेन्टेनेन्स सेण्टर) स्थापित किया जा चुका है।

इस उद्योग द्वारा निर्यात भी आरम्भ किया जा चुका है। उपकरणों की पहली खेप श्रीलंका भेजी जा चुकी है। अन्य पड़ौसी देशों में निर्यात हेतु वार्ता जारी है।

इस उद्योग का प्रबन्ध दक्ष युवा प्रतिभाओं के हाथ में है। उद्योग ने प्रारम्भिक वर्ष में ही 11.7 लाख रुपये का लाभ (कर पूर्व) अर्जित कर लिया है।

दूध के अधिक उत्पादन के लिए

पौष्टिक चारा

* एक अध्ययन रिपोर्ट

सी० बी० सिंह * आर० के० पटेल

दुग्ध उत्पादन में पौष्टिक और अच्छा चारा उतना ही महत्व रखता है जितना दुधारू पशुओं की सुधरी हुई नस्ल और उनकी सेहत। यह भी सिद्ध हो चुका है कि अधिक दूध देने वाली नस्लों के पशुओं के लिए हरा चारा, भूसा आदि की तुलना में कम खर्चीला है। पशुपालन के क्षेत्र में दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उनकी दुग्ध क्षमता को बढ़ाने के कार्यक्रमों पर बड़ी मात्रा में पूंजी-निवेश किया गया है ताकि देश की बढ़ती हुई दूध की मांग को पूरा किया जा सके। परन्तु इन उन्नत नस्ल के पशुओं की खाद्याहार सम्बन्धी आवश्यकता पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है।

देश में चारे की फसलों का क्षेत्र 11 लाख 10 हजार हैक्टेयर है जो कुल सिंचित भूमि का 1.43 प्रतिशत और देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 0.65 प्रतिशत है। दालों और नगदी फसलों के अधिक लाभदायक होने के परिणामस्वरूप चारे की फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाना शायद ही संभव हो। अतः दूध उत्पादन की समस्या के निदान के लिए हमें चारे के उत्पादन और इसके पोषक तत्वों को बढ़ाना होगा। चारे की उत्पादन क्षमता को बहु-फसली खेती अपना कर काफी हद तक बढाया जा सकता है। और इस बात को कृषि अनुसंधान संस्थाओं तथा सरकारी कार्यक्रमों के अधीन प्रदर्शनी खेतों में भी सिद्ध किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चारे की खेती सम्बन्धी आर्थिक आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे इस क्षेत्र के अनुसंधानकर्ताओं तथा ग्राम किसानों को दिशा मिल सके। प्रस्तुत अध्ययन में हरियाणा राज्य के करनाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के पशुओं के चारे तथा पोषाहार पर व्यय तथा उनसे प्राप्त दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आय का तथ्यपर्क विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन विधि

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के आप्रेशनल रिसर्च प्रोजैक्ट के अन्तर्गत अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण नमूने में शामिल किसानों को एक बहु-चरणीय सर्वेक्षण विधि द्वारा विषय से संबंधित प्रश्नावली दी गई। इस नमूने में शामिल किसानों की संख्या 77

थी जिन्हें उनकी जोत के वर्गीकरण के आधार पर चुना गया था। जो इस प्रकार है :—

1. सीमान्त किसान (जोत सीमा एक हैक्टेयर)	16
2. छोटे किसान (जोत सीमा 1 से 2 हैक्टेयर तक)	20
3. निम्न मध्यम किसान (जोत सीमा 2 से 4 हैक्टेयर तक)	16
4. उच्च मध्यम (जोत सीमा 4 से 8 हैक्टेयर)	13
5. बड़े किसान (जोत सीमा 8 हैक्टेयर और अधिक)	12

अध्ययन के दौरान वर्ष 1977-78 के आंकड़े इन किसानों को एक-एक मास के अन्तराल पर दी गई प्रश्नावलियों के उत्तरों के आधार पर एकत्रित किए गए। अध्ययन में विभिन्न चारों और पोषक तत्वों की औसत चालू कीमतों को ही इस्तेमाल किया गया ।

निर्धारित सम्पत्ति की विभिन्न मदों के अवमूल्यन का अध्ययन करने के लिए एक सीधी पद्धति अपनाई गई। किसानों द्वारा विभिन्न खेतों पर किया गया संयुक्त व्यय पशु चारे की खेती के क्षेत्रफल और खेती के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में विभाजित था। इसलिए फसल की अवधि को देखते हुए प्रत्येक फसल की प्रति हैक्टेयर अवमूल्यन लागत निकाली गई। उसी प्रकार निर्धारित सम्पत्ति के मूल्य पर ब्याज लगाया गया और इसके लिए भी अनुपात की वही पद्धति अपनाई गई जैसी अवमूल्यन के मामले में अपनाई गई थी। अतः भूमि को पट्टे पर देने की चालू दरें अपनाई गई और यह दरें प्रत्येक फसल के लिए उसकी अवधि पर आधारित थीं ।

अध्ययन की रिपोर्ट

विभिन्न श्रेणियों के नमूना फार्मों पर आश्रित जोत, परिवार, दुधारू और अन्य पशुओं के औसत आकार का अध्ययन किया गया जो तालिका-1 में दर्शाया गया है :— 14

मजबूरी

जो पहले गांव थे, बन गए नगर—
जो अभी गांव हैं, बन रहे शहर;
जानबूझ कर अमंद वेग से मनुष्य
जनसंख्या वृद्धि का पी रहा जहर।

जो सड़कें चौड़ी थीं, लगती हैं तंग—
कारण है एक मात्र भीड़ का प्रसंग;
घिसी-पिटी मान्यताएं टूट-टूट कर
अनुबंधी रूपों में होती है भंग ।

कमाता एक और खाते हैं अधिक—
आय है बकरी तो, व्यय है बधिक;
मंहगाई जब-जब भी करती है चोट,
मुश्किल है तब उससे बच पाना कठिन।

बढ़ती हुई सुविधाएं फिर भी हैं कम—
सूख रहा जीवन में प्यार का पदम,
पके हुए पत्तों से झरते हैं स्वप्न,
मजबूरी हर तरफ बढ़ा रही कदम ।

—जगदीश चन्द्र शर्मा
पो० गिलूंड-313207 (राजस्थान)

तालिका—1

जोत, परिवार, दुधारू और अन्य पशुओं का औसत आकार

किसानों की श्रेणी	जोत का औसत आकार (हैक्टेयर)	परिवार का औसत आकार	दुधारू पशु		अन्य पशु	
			प्रति परिवार	प्रति हैक्टेयर	प्रति परिवार	प्रति है०
सीमान्त किसान	0.87	6.44	2.00	2.28	0.88	1.00
छोटे किसान	1.65	7.10	2.50	1.52	1.30	0.79
निम्न मध्यवर्गीय	3.07	7.38	3.13	1.02	1.38	0.45
उच्च मध्य वर्गीय	6.37	7.85	4.23	0.66	1.62	0.25
बड़े किसान	12.77	10.33	6.25	0.49	1.50	0.12
कुल की औसत	4.31	7.65	3.40	0.88	1.31	0.30

तलिका-1 से यह पता चलता है कि नमूना फार्मों के जोत का औसत आकार 4.31 हैक्टेयर था, परिवार का आकार भी जोत के आकार के अनुरूप ही था। इसी तरह दुधारू पशुओं की संख्या भी प्रति परिवार तो जोतों के आकार के अनुसार बढ़ती गई परन्तु प्रति हैक्टेयर घटती गई ।

नमूनों फार्मों पर अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए उगाई गई फसलों की विभिन्न श्रेणियों और उनकी मात्रा के आंकड़े एकत्रित किए गए जो तालिका-2 में दिए गए हैं ।

तालिका—2

नमूना फार्मों पर अपनाई गई फसल पद्धति और उनकी मात्रा

फार्म	फसल की प्रतिशतता					
	अनाज	पशुचारा	नगदी	दालें	तिलहन	मात्रा (प्रतिशत में)
सीमांत . . .	67.0	29.9	2.5	0.6	—	186.25
छोटे . . .	70.0	24.4	4.7	0.2	0.7	179.24
निम्न मध्य वर्गीय . . .	73.8	21.1	3.1	1.6	0.4	213.99
उच्च मध्यवर्गीय . . .	74.2	16.2	7.3	2.0	0.3	151.00
बड़े	73.9	19.7	4.0	1.8	0.6	171.73
कुल की औसत . . .	73.4	20.4	4.1	1.5	0.6	179.40

जैसा कि तालिका-2 में स्पष्ट है नमूना फार्मों के कुल फसल क्षेत्र में से सबसे अधिक (73.4 प्रतिशत) हिस्सा अनाज की फसलों का था। और इन अनाज की फसलों में धान और गेहूं का सबसे अधिक महत्व रहा। यह बात उल्लेखनीय है कि कुल फसल क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा चारे की फसल के लिए प्रयोग में लाया गया। चारे की फसल का सबसे अधिक (29.9 प्रतिशत) भाग सीमांत खेतों में और सबसे कम (16.2 प्रतिशत) उच्च मध्यम श्रेणी के खेतों में रहा। इसका श्रेय डेयरी उद्योग में अधिक रोजगार और अधिक आय की क्षमता को देखते हुए किसानों द्वारा डेयरी उद्योग को प्राथमिकता देने को दिया जा सकता है। फार्मों पर औसत फसल घनत्व का अनुमान 179 प्रतिशत लगाया गया था।

सारणी–3 नमूना फार्मों में विभिन्न चारा-फसलों पर किए गए मुख्य व्यय जैसे कि बीज खाद और मानक श्रम पर किया गया व्यय---और उनसे प्राप्त उत्पादन दर्शाया गया है। चारा फसलों में फासफेट और पोटाश की अनुपस्थिति के कारण फासफेट और पोटाश के लाभों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए।

जबकि नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग सभी चारा फसलों में किया गया था। प्रति हैक्टेयर मानव श्रम रोजगार ज्वार+ग्वार के लिए 15 दिन (मानव दिवस) से लेकर ल्यूसर्न फसलों के लिए 51 दिन तक था।

जहां तक प्रति हैक्टेयर उत्पादन का सम्बन्ध है खरीफ और रबी की सभी चारा फसलों में क्रमशः मक्का+कौपीया और बरसीम+सरसों का सर्वाधिक औसत उत्पादन रहा।

सारणी—3 : विभिन्न चारा फसलों के लागत और उत्पादन स्तर (औसतन)

मौसम/फसल	बीज कि० ग्राम/है०	उर्वरक कि० ग्रा०/हैक्टेयर			मानव श्रम (दिवस/है०)	उत्पादन क्विंटल/है०
		एन०	पी०	के०		
खरीफ						
मक्का+कौपीया . . .	68.84	45.88	3.48	2.61	27.85	379.22
मक्का . . .	44.55	29.91	0.17	0.17	19.55	292.41
ज्वार . . .	47.97	30.39	—	—	20.64	248.20
मक्का+ज्वार . . .	52.83	36.87	—	—	19.55	348.47
ज्वार+ग्वार . . .	44.14	40.62	—	—	15.16	373.79
ग्वार . . .	29.17	18.34	—	—	30.34	283.26
चारी+कौपीया+बाजरा . .	63.50	23.78	5.59	4.89	27.85	329.33
रबी						
बरसीम+सरसों . . .	21.67	45.89	0.96	0.96	46.57	523.02
जौ+सरसों . . .	94.55	61.29	3.09	3.09	33.49	335.39
ल्यूसर्न . . .	14.72	62.22	—	—	50.93	464.53
ग्रीष्म						
मक्का+कौपिया+चारी . .	74.10	28.65	—	—	27.85	390.26

सारणी-4 में स्पष्ट है कि खरीफ की चारा फसलों में मक्का+कौपीया की फसल लगाने की प्रति हैक्टेयर लागत सबसे अधिक (1345 रुपये) थी जबकि ज्वार+ग्वार की प्रति हैक्टेयर लागत सबसे कम (941 रुपये) थी। इसमें कम लागत का कारण मजदूरी, बैल/ट्रैक्टर पर होने वाला कम खर्च था। रबी की चारा फसलों में अन्य फसलों की तुलना में जौ+सरसों की फसल की प्रति हैक्टेयर लागत सबसे कम थी।

यह देखा गया है कि खरीफ की चारा फसलों में ज्वार+ग्वार और रबी की चारा फसलों में बरसीम+सरसों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक था जबकि अन्य चारा फसलों के मुकाबले में इन पर किया गया व्यय सबसे कम रहा। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि खरीफ की चारा फसलों में ज्वार+ग्वार, मक्का+कौपीया और रबी की चारा फसलों में बरसीम+सरसों और जौ+सरसों अच्छी पशु चारा साबित हो सकती हैं।

विभिन्न चारा फसलों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की उपलब्धता और उन पर होने वाले व्यय से उनकी गुणवत्ता का पता चलता है। इसलिए किसानों द्वारा उगाई गई विभिन्न चारा फसलों में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और उन पर किए गए व्ययों का अध्ययन किया गया जो सारणी-5 में प्रस्तुत है।

सारणी—4 : प्रमुख चारा फसलों की लागत और लाभ

क्र० सं०	मदें	खरीफ					रबी			ग्रीष्म
		मक्का+कौपीया	मक्का	ज्वार	ज्वार+ग्वार	ग्वार	मक्का+ग्वार	बरसीम+सरसों	जौ+सरसों	ल्यूसर्न	मक्का+कौपीया+चारी
1.	निर्धारित लागत*	347.15	392.23	351.67	351.67	351.67	392.23	1041.24	568.27	964.65	368.79
2.	नकद व्यय रु०	472.12	434.85	371.11	327.07	285.50	439.81	610.80	595.29	647.01	404.36
3.	नकद व्यय पर ब्याज (रु०)	10.96	11.40	8.72	8.75	6.71	11.53	42.52	22.61	41.73	9.38
	कुल नकद व्यय	483.08	446.25	379.83	335.82	292.21	451.34	653.32	617.90	688.74	413.68
4.	मानव श्रम (रु०)	194.92	136.88	144.50	106.14	212.35	136.88	325.98	234.43	356.51	194.92
5.	बैल/ट्रैक्टर पर खर्च (रु०)	320.00	263.10	370.58	147.65	310.95	263.10	249.18	535.96	246.07	745.08
5.	कुल व्यय	1345.15	1238.46	1246.58	941.28	1167.18	1243.55	2269.72	1956.56	2255.97	1722.47
6.	उत्पादन (क्विंटल)	379.22	292.41	248.20	373.79	283.26	348.27	523.02	335.39	464.53	390.26
7.	कुल लाभ	2654.54	2339.28	1737.40	2816.53	1982.82	2786.16	3661.14	2012.34	3251.71	3122.08
8.	नकदी व्यय पर लाभ	2171.46	1839.03	1357.57	2280.71	1690.61	2334.82	3001.82	1394.44	2562.97	270.40
9.	शुद्ध लाभ प्रति हैक्टेयर	1309.39	1100.82	490.82	1675.25	815.64	1542.61	1391.42	55.78	995.74	1399.61
10.	शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	3.45	3.76	1.98	4.48	2.88	4.43	2.66	0.17	2.14	3.59
11.	शुद्ध लाभ प्रतिदिन (फसल अवधि)	17.01	12.65	6.29	21.47	10.46	17.73	6.02	0.44	4.65	14.43
12.	नकद व्यय पर प्रति रुपया लाभ (रु०)	2.71	2.47	1.29	4.99	2.79	3.42	2.13	0.09	1.44	3.38
13.	उत्पादन लागत (रु० क्विंटल)	3.55	4.24	5.02	2.52	4.12	3.57	4.34	5.83	4.86	4.41

*–निर्धारित लागत में भूमि का किराया और निर्धारित पूंजी पर अवमूल्यन और ब्याज शामिल हैं।

सारणी–5 से स्पष्ट है कि खरीफ की चारा फसलों में मक्का+कौपीया में डाइजैस्टिबल क्रूड प्रोटीन की प्रति हैक्टेयर मात्रा सबसे अधिक है। दूसरा स्थान ज्वार+ग्वार का है। रबी की चारा फसलों में ल्यूसर्न का प्रथम स्थान है। कुल पचनशील पोषक तत्वों (टी० डी० एन०) के मामले में खरीफ में मक्का+ज्वार और रबी में बरसीम+सरसों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक रहा। नमूना खेतों में डाइजैस्टिबल क्रूड प्रोटीन में उत्पादन लागत खरीफ में मक्का+कौपीया के लिए सबसे कम (1.89 रुपये प्रति किलोग्राम) और ज्वार पर सबसे अधिक (10.04 रुपये प्रति किलोग्राम) आंकी गई। इसमें दूसरे स्थान पर बरसीम+सरसों की फसल (1.65 रुपये प्रति किलोग्राम) रही।

अंत में हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के अधिक उत्पादन और उसकी उत्पादन लागत को कम रखने के लिए उपरोक्त चारा फसलें पोषक तत्वों की दृष्टि से उत्तम हैं। खरीफ की चारा फसलों में मक्का+कौपीया और ज्वार+ग्वार अन्य चारा फसलों से उत्तम हैं जबकि ल्यूसन और बरसीम+सरसों में जौ+सरसों की अपेक्षा कम लागत पर अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं।

सारणी 5–हरा चारा की औसत उत्पादन और विभिन्न फसलों के पौष्टिक तत्व

क्रम सं० फसल	उत्पादन प्रति हैक्टेयर			उत्पादन लागत		
	हरा (क्वि०)	डी० सी०पी० (कि० ग्रा०)	टी० डी० एन० (कि० ग्रा०)	हरा (रु०/क्वि०)	डी०सी०पी० (रु०/कि०	टी०डी०एन० (रु०/कि०)
1. खरीफ						
(i) मक्का+कौपीया	379.22	711.05 (1.88)	5680.70 (14.98)	3.55	1.89	0.24
(ii) मक्का	292.41	342.12 (1.17)	4941.73 (16.90)	4.24	3.62	0.25
(iii) ज्वार	248.20	124.10 (0.50)	4120.12 (16.60)	5.02	10.04	0.30
(iv) ग्वार+ज्वार	373.79	404.06 (1.08)	4425.69 (11.84)	2.52	2.33	0.21
(v) ग्वार	283.26	376.74 (1.33)	2775.95 (9.80)	4.12	3.10	0.42
(vi) मक्का+ज्वार	348.27	349.14 (1.00)	5859.64 (16.82)	3.57	3.56	0.21
2. रबी						
(viii) बरसीम+सरसों	523.02	1378.68 (2.64)	6678.97 (12.77)	4.34	1.65	0.34
(ix) जौ+सरसों	335.39	771.40 (2.30)	5258.91 (15.68)	5.83	2.54	0.37
(x) ल्यूसर्न	464.53	1477.21 (3.18)	5388.55 (11.60)	4.86	1.53	0.42
3. ग्रीष्म						
मक्का+कौपीया+चारी	390.26	535.46 (1.37)	6048.98 (15.50)	4.41	3.22	0.28

नोट :–उत्पादन का अनुपात : मक्का+कौपीया=2.33:1, ग्वार+ज्वार=2.33:1, मक्का+ज्वार=3:1, बरसीम+सरसों=9:1, जौ+सरसों = 4:1, मक्का+कौपीया+चारी=2:1:2

अनुवाद : रक्षा देवी
562, सैक्टर—6,
रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली-110022

छोटा परिवार
सुखी परिवार

किसानों पर प्रकृति का बज्र प्रहार * महेन्द्र पाल सिंह

उत्तर प्रदेश के प्राय: सभी क्षेत्रों में अप्रल के द्वितीय सप्ताह में किसानों पर प्रकृति का बज्र प्रहार हुआ। इस समय गेहूं की फसल के हरे-भरे खेत सोने की आभा में बदल चुके थे। ऐसा मालूम होता था कि खेतों में सोने की चादर बिछी हुई है। फसल इतनी शानदार ढंग से लगी थी कि किसान सोच रहा था कि अब की बार उसके सारे दरिद्र धुल जाएंगे। परन्तु किसान की इस आशा पर इन्द्र के प्रकोप से तुषार पात हो गया। भयंकर वर्षा हुई, ओले पड़े तथा तेज हवाएं चलीं। नतीजा यह हुआ कि फसल चौपट हो गई। कुछ अधिकारियों का कथन है कि इस वर्षा से गेहूं की फसल को विशेष नुकसान नहीं पहुंचा और उनका कथन यह भी है कि इस वर्ष गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक होगा। इसमें शक नहीं कि गहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा अभी भी अधिक हो सकता है परन्तु अधिकारियों के इस कथन में सच्चाई नहीं कि गेहूं की फसल को इससे विशेष क्षति नहीं पहुंची है। वैसे तो सारे उत्तरी भारत में ही इस वर्षा से फसल को भारी क्षति पहुंची है, परन्तु उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, जो गेहूं उत्पादन का शानदार क्षेत्र है, इस वर्षा से विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। मुझे इन दिनों अलीगढ़, बुलन्दशहर तथा गाजियाबाद के गांवों में घूमने का अवसर मिला और देखा कि कटी फसल खेतों-खलियानों और खड़ी फसल खतों में पानी में डूबी हुई है। अपनी इस फसल की दुर्गति को देख कर किसान का हृदय बहुत दु:खी था। छोटे किसानों का हृदय तो बिल्कुल टूट चुका था क्योंकि उसकी तो एक मात्र आशा यह खेती ही थी। लोगों का ख्याल था कि इस वर्षा से उनके गांवों में जो उत्पादन होगा वह लागत की कीमत को भी पूरा नहीं कर पाएगा। चना, जौ और मटर की फसल कट चुकी थी और खलियानों में पड़ी सड़ रही थी। लोगों का ख्याल यह भी था कि गेहूं का दाना काला पड़ जाएगा। और भूसा सड़ जाएगा। सड़े भूसे को खाने से पशुओं में रोग फैल सकता है। गेहूं भी बिल्कुल अखाद्य हो जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उत्तरी भारत के एक भाग में बेमौसम वर्षा से रबी की फसल को क्षति पहुंचने पर चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने मौसम विभाग को निर्देश दिया है कि यह पता लगाया जाए कि हमारे देश में कहीं वर्षा चक्र तो नहीं बदल रहा है और यदि ऐसा है तो कृषि के फसल चक्रों में भी तदनुसार फेरबदल किया जाए।

किसान की समस्याएं

किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि उन्हें नलकूपों के लिए पर्याप्त और ठीक समय पर बिजली नहीं मिलती। नलकूपों की मरम्मत की व्यवस्था भी नहीं है। यदि नलकूप या ट्रैक्टर का कोई उपकरण खराब हो जाए तो उन्हें शहरों की ओर भागना पड़ता है। और शहरों के कारीगर छोटी-मोटी मरम्मत के लिए भी मनचाहा दाम वसूल करते हैं। बैंकों तथा अन्य अभिकरणों से कर्जा भी यथोचित तथा समयानुसार नहीं मिलता। यह तो ठीक है कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं तथा अन्य अनाजों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है परन्तु गेहूं का 151 रुपये प्रति क्वि० मूल्य किसान अपने हित में पर्याप्त नहीं समझते। उनका कथन है कि जो क्विंटल लागत लगती है उसको देखते हुए यह मूल्य बहुत कम है जबकि उनकी जरूरत की वस्तु बाजार में उन्हें बड़े मंहगे दामों पर मिलती है। दूसरे उनकी मांग है कि अनाज की खरीद में व्यापारियों और कर्मचारियों द्वारा जो धांधली की जाती है उसे रोका जाए। अप्रैल की वर्षा से फसल को जो भयंकर क्षति हुई है उसको देखते हुए उसे तकाबी तथा लगान में काफी छूट दी जाए।

समुचित भण्डारण व्यवस्था न होने से गांवों में बहुत सा अन्न सड़ जाता है। अत: किसानों की मांग है कि गांवों में भण्डारण व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाए। गांवों में संचार की सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं। अत: जरूरी है कि प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ा जाए। किसान के माल को खरीदने के लिए गांवों में ही मण्डियों की व्यवस्था की जाए।

फसल बीमा

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तम्भ है। बड़े समय से फसल बीमा की चर्चा सुनी जाती रही है। कुछ राज्यों में इसे लागू भी किया गया है। परन्तु अभी तक ऐसे कई उपाय करने हैं जिससे फसल बीमा किसानों के लिए और उपादेय साबित हो सके। जरूरत इस बात की है कि इस दिशा में गम्भीरता से सोचा जाए और ऐसी बीमा योजना लागू की जाए जिसके लिए देय रकम किसान को अखरे नहीं और प्रकृति के प्रकोप से चौपट फसल की क्षति पूर्ति उसे मिल सके।

यह प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह नष्ट हुई गेहूं की फसल भी निर्धारित मूल्य पर खरीद लेगी। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। □

ठा० महेन्द्र पाल सिंह,
ए-74, सूर्यनगर,
बिल्ली-यू० पी० सीमा,
गाजियाबाद (उ० प्र०)

नगालैंड के गांवों में सेना द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

मेजर के० सी० शर्मा

नगालैण्ड में 90 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और वह भी छोटे-छोटे हिस्सों में पहाड़ियों के ऊपर। यहां पर नौ सौ से अधिक गांव हैं और उनकी ऊंचाई 3000 से 6000 फुट के बीच है। यह क्षेत्र पहाड़ी और दुरुह है, और संचार सुविधाएं कठिन है। नगालैंड में स्वास्थ्य सम्बंधी मुख्य समस्याएं हैं—मलेरिया, पीलिया, अतिसार-पेचिश, चर्म इन्फैक्शन, कुपोषण तथा तपेदिक। 5000 फुट से कम ऊंचाई वाले इलाकों में, विशेष तौर से, मलेरिया एक महामारी है। वैसे तो यह बीमारी पूरे वर्ष रहती है किन्तु जुलाई, अगस्त, तथा सितम्बर में भीषण रूप में होती है। अन्य बीमारियां पूरे वर्ष फैली रहती हैं।

स्वास्थ्य सम्बन्धी देख-भाल

सैन्य स्वास्थ्य योजना के अधीन सुरक्षा सेनाएं दूर-दराज के गांवों तथा दुर्गम इलाकों तक डाक्टरी सहायता पहुंचाती है। यह योजना सिविल चिकित्सा प्रशासन की सहायक है।

नगालैण्ड तथा मणीपुर राज्य में, सुरक्षा सेनाएं लगभग 300 चिकित्सा केन्द्रों का संचालन कर रही है। इनमें प्रशिक्षित चिकित्सा/अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ कार्य करता है। इन चिकित्सा चौकियों में से लगभग 250 अन्दरूनी इलाकों में हैं और कुछ स्थानों पर तो केवल हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। इन सभी चिकित्सा केन्द्रों में सामान्य समय के दौरान स्थानीय लोगों की भी डाक्टरी देखभाल की जाती है। किन्तु आपातकालीन मामलों की चौबीस घंटे देखभाल की जाती है। किन्तु मुख्यत: रोगों की रोकथाम के लिए उपचार किया जाता है। इस बात का प्रयास किया जाता है कि आम जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों की जानकारी दी जाए। यहां से औषधियां दैनिक तथा घर पर प्रयोग करने को दी जाती हैं। निरोधात्मक उपचार भी किए जा रहे हैं। चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सा अफसर होते हैं और हर चिकित्सा चौकी पर स्थानीय चिकित्सा कक्षों में प्रशिक्षित अर्ध-चिकित्सा स्टाफ होता है जो स्थानीय लोगों की जरुरतों को पूरा करते हैं। ये सहायता चौकियां आस-पास के 5 से 7 गांवों तक की देखभाल करती हैं, जिनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई होती है। चिकित्सा अधिकारी महीने में एक या दो बार इन चौकियों का निरीक्षण करते हैं। 1981 में, सुरक्षा सेनाओं के बहिरंग रोगी विभाग में कुल 1,49,438 रोगियों (सिविलियन) का इलाज किया गया। इस वर्ष, लगभग 16000 रोगियों का प्रतिमाह उपचार किया जा रहा है।

रक्त का नमूना एकत्र करते हुए

सुरक्षा सेनाएं डिवीजनल मुख्यालय में एक बड़े अस्पताल का संचालन कर रही हैं। यहां सभी प्रकार के आधुनिक उपकरण तथा हर विभाग के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। पूरे नगालैण्ड में यह अपने किस्म का एक मात्र अस्पताल है। आमतौर से यहां सिविलियन रोगियों को भर्ती नहीं किया जाता किन्तु आपातकालीन मामलों को मानवता के आधार पर सदैव भर्ती किया जाता है क्योंकि उनके जीवन का प्रश्न होता है।

यहां पर अकौर गांव के श्री कोहिलो के केस का उल्लेख करना आवश्यक है। 65 वर्षीय इस किसान को पिछले 16 वर्षों से दाहिनी टांग में सूजन थी और दर्द था। वह कुछ कदम भी नहीं चल सकता

या। उसने अनेक चिकित्सकों आदि से इलाज कराया लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। बढ़ते दर्द तथा तकलीफ के कारण उसे 17 अगस्त 1977 को इस सैनिक अस्पताल में लाया गया। जांच के बाद 'मीटोमा' बीमारी पाई गई जिसे आम तौर से "मदुरा प-व" के नाम से जानते हैं। यह एक पुराना रोगी था जिसकी बीमारी शनैः शनैः बढ़ती जा रही थी। यह बीमारी एक प्रकार के कीटाणु के काटने से होती है जो दक्षिण भारत में आम-तौर से पाया जाता है। यह कीटाणु मिट्टी में होता है जो नंगे पैर चलने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है।

रोग की जांच करने पर रोगी की दाहिनी टांग में भारी सूजन पाई गई। रोग-ग्रस्त भाग में अनेक छिद्र थे जिससे मवाद निकलता रहता था। एक्सरे से पता लगा कि हड्डियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं।

रोगी की सामान्य हालत को ज्यों का त्यों रखा और घुटने से नीचे की टांग को काट दिया गया ताकि बीमारी और अधिक न फैले। 26 अगस्त 1977 को डिवीजनल जनरल अस्पताल में उसका आपरेशन किया गया।

रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसे 24 अक्तूबर 1977 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उसे सशस्त्र सेना कृत्रिम अंग केन्द्र पुणे भेजने के प्रबन्ध किए गए ताकि उसे कृत्रिम टांग लगा दी जाए और वह एक बार फिर सामान्य जीवन जी सके।

सुरक्षा सेनाओं के सभी चिकित्सा केन्द्रों तथा अस्पतालों में गांववालों का इलाज किया जा रहा है। ग्रामवासियों को परिवार कल्याण, प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य की देख-रेख व्यक्तिगत सफाई, आस-पास के क्षेत्र में सफाई तथा जल व भोजन के संबंध परामर्श दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सेना की स्वास्थ्य टीमें दूर-दराज के गांवों विशेषतौर से आस-पास के गांवों का दौरा भी करती हैं। और वहां शिक्षित वर्ग जैसे स्कूल शिक्षकों विद्यार्थियों धर्म गुरुओं, डाक क्लर्कों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी कराती हैं। बाद में ये शिक्षित लोग इस दिशा को ग्रामलोगों तक बिना किसी भाषायी समस्या के पहुंचा देते हैं। "स्वास्थ्य टीमें" गहरे गड्ढे खोदकर शौचालय बनाने, बोर-होल शौचालय, सार्वजनिक मूत्रालय, सूखे तथा गीले मल का उपयोग करना भी सिखाते हैं। आमतौर से, इन टीमों द्वारा स्वास्थ्य तथा सफाई सम्बन्धी जानकारी दी जाती है।

अपनी कृत्रिम टांग के साथ श्री कोहिलो

पिछले दिनों दूर-दराज के गांवों में अनेक छूत के रोग फैले क्योंकि यहां सिविल डाक्टरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। सुरक्षा सेनाओं के चिकित्सा दल इन महामारियों की रोकथाम के लिए भेजे गए।

दूर-दराज के गांवों से रोगियों को निकट की चिकित्सा सहायता चौकी तक पहुंचने के लिए रोगी गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल में, गम्भीर मामलों में हेलीकाप्टर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

चिकित्सा कैम्प

चिकित्सा कैम्प लगाकर स्थान-स्थान पर जाकर रोगियों का इलाज किया जाता है और रोग निवारक उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भाषणों तथा निर्देशनों के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। कैम्पों में विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध करा कर उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। किसी दूर-दराज के स्थान में किसी गांव को केन्द्र स्थल बना लिया जाता है। किसी भी कैम्प को लगाने से पहले प्रचार किया जाता है और हरेक कैम्प जरूरत के अनुसार 3 से 4 दिन तक लगाया जाता है। सिविल स्वास्थ्य प्राधिकारियों से सामान तथा तकनीकी सहायता ली जाती है। यह प्रयोग काफी सफल हुआ है।

कैम्पों के दौरान "चिकित्सा दल" में कुछ जरूरी उपस्करों के साथ प्रयोगशाला स्टाफ भी होता है जो सामान्य परीक्षण करता है। □

(सैनिक समाचार से आभार)

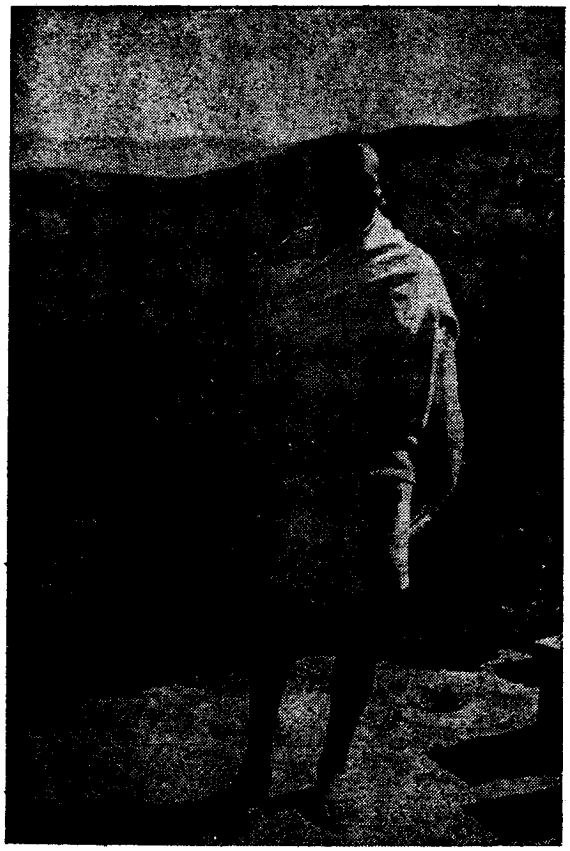

श्वेत क्रान्ति की ओर बढ़ता

हरियाणा

श्रीमती मिथलेश सिंह

हरियाणा देश का वह प्रान्त है, जहां पर आदिकाल से सभ्यता का अभ्युदय हुआ। हरियाणा के लिए बड़े से बड़ा कार्य करना एक स्वयं सिद्ध सत्य बन गया है। अपनी स्थापना से ही इस राज्य ने विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। संयुक्त पंजाब से अलग होने के 15 वर्षों के अन्तराल के दौरान, हरियाणा ने पशुपालन तथा डेयरी उद्योग में बड़ी तेजी के साथ प्रगति की है। यद्यपि क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात में यह देश के छोटे राज्यों में से एक है। किवदन्ती है कि कभी इस राज्य की पावन भूमि पर दूध तथा शहद की नदियां बहा करती थीं, और यह तो सर्वविदित है ही कि, "देसां में देस हरियाणा, जित दूध-दही का खांणा"। इस समय हरियाणा में दूध तथा दूध के उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत देश में किसी अन्य राज्य की प्रति व्यक्ति खपत से कहीं अधिक है।

पशु पालन तथा डेयरी उद्योग से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा बेरोजगार युवकों को रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होते हैं तथा लघु तथा सीमान्त किसानों को अपनी आय में वृद्धि करने के अवसर मिलते हैं। इसीलिए पशुधन विकास कार्य अत्यन्त महत्व रखता है बल्कि हरियाणा के लिए तो यह अनिवार्य है। इस समय इस राज्य में 69.05 लाख पशु हैं। राज्य में पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए 351 पशु अस्पताल, 298 औषधालय, 7 चलते-फिरते औषधालय तथा 5 रोग निदान प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। राज्य में पशुपालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक धन्धा है। पशुधन के विकास एवम् पशुओं की दूध देने की क्षमता में सुधार करने के लिए संकर एवं चुनी हुई नस्लों का विदेशी सांडों से कृत्रिम गर्भाधान करवाने का कार्य किया जाता है। हरियाणा की मुर्राह भैंस दूध देने वाली अन्य सभी नस्लों में अग्रणी है। कुछ मुर्राह भैंसें दूध देने की अपनी एक अवधि के दौरान 3,500 कि०लि० से अधिक दूध देती हैं। सांड़ों की किस्म को उन्नत करने के लिए राज्य देश के विभिन्न भागों को सांडों की मुर्राह नस्ल भेजता है और यहां तक कि वियतनाम, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों तथा अन्य पड़ौसी देशों को उनका निर्यात करता है। हिसार में विश्व प्रसिद्ध 'इंडो आस्ट्रेलियन कैटल ब्रीडिंग फार्म' में विदेशी नस्ल के जर्सी एवं हांलस्टीन सांड तैयार किए जाते हैं। गुड़गांव में भी रायल डेनिस सरकार की सहायता से 24 घण्टे प्रजनन सुविधाएं प्रदान करने वाला एक जमा हुआ वीर्य बैंक कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ जो हरियाणा बनने के पश्चात् अस्तित्व में आया, ने दूध उत्पादन की वृद्धि करने के लिए संकर प्रजनन हेतु जर्सी नस्ल के सांडों को पैदा करने के लिए भिवानी में एक विदेशी पशु प्रजनन फार्म स्थापित किया है। दूर-दराज के इलाकों तक वैज्ञानिक प्रजनन के लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में 1,514 स्टाकमैन सैंटर, औषधालय एवम् अस्पताल कार्य कर रहे हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 444 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 67.25 लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है। हिसार स्थित हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्थान, रोग निरोधक उपाय प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के टीके बना रहा है। पशुओं के एच० एस०, पशु-प्लेग तथा कालामेह रोगों को रोकने के लिए निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। बढ़िया नस्ल के पशुओं को पैरों तथा मुंहखुर बीमारियों को रोकने के लिए सस्ती दरों पर टीके भी लगाए जाते हैं। राज्य में गत दस वर्षों से पशु प्लेग बीमारी का कोई प्रकोप नहीं हुआ। राज्य पशु पालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा सहायता की व्यवस्था के अलावा, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ द्वारा भी पशु चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम में नाम-मात्र फीस पर दिन-रात

पशुओं के आपाती-निरीक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर जुटाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों के लिए पांच दुधारू पशुओं वाले मिनी डेयरी यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। इन मिनी डेयरियों को 10–10 के समूहों में संगठित करके वर्तमान या संभावित दुग्ध मार्गों पर लाया जा रहा है ताकि उनके उत्पादकों को दूध आदि बेचने के लिए मण्डी उपलब्ध हो सके। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में 3,500 यूनिटों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राज्य में त्रि-स्तरीय प्रणाली के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसाइटियों का एक विशाल समूह कार्य कर रहा है, जिसमें राज्य दुग्ध सहकारी संघ शिखर स्तर पर, दुग्ध संघ जिला स्तर पर और प्राथमिक दुग्ध सोसाइटियां ग्राम स्तर पर कार्य कर रही हैं। राज्य में सहकारी क्षेत्र में पांच दुग्ध संयंत्र अम्बाला, जीन्द, भिवानी, रोहतक और बल्लभगढ़ में कार्य कर रहे हैं। इनकी प्रतिदिन कुल दुग्ध प्रयोग क्षमता 2.35 लाख लिटर है। एक दुग्ध संयंत्र सिरसा में निर्माणाधीन है। इसकी प्रतिदिन की दुग्ध प्रयोग क्षमता एक लाख लिटर होगी।

राज्य में 33 करोड़ रुपयों के परिव्यय से 'आप्रेशन फ्लड II कार्यक्रम' शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों के दौरान करनाल में प्रतिदिन 60,000 लिटर दुग्ध प्रयोग क्षमता वाला एक और दुग्ध संयंत्र लगाया जाएगा तथा जीन्द, बल्लभगढ़, अम्बाला और भिवानी के दुग्ध संयंत्रों की प्रतिदिन 1.35 लाख लिटर दूध की वर्तमान क्षमता बढ़ाकर 2.70 लाख कर दी जाएगी। इस प्रकार कुल दैनिक दुग्ध उत्पादन प्रस्थापित क्षमता 5.30 लाख लिटर तक बढ़ जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन 20,000 लिटर क्षमता वाला एक-एक दुग्ध प्रशीतन केन्द्र करनाल, कुरुक्षेत्र तथा अम्बाला में स्थापित किए जाएंगे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85 के अन्त तक सहकारी क्षेत्र में वर्तमान दैनिक दूध उत्पादन जो 2.35 लाख लिटर है बढ़कर 7.00 लाख लिटर हो जाने की आशा है।

हरियाणा में अनुसूचित जातियां कुल जनसंख्या का 19 प्रतिशत है। सामान्यतौर पर विभिन्न कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभों का अनुसूचित जातियों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है। योजना की व्यवस्थाओं के परिमाण को निर्धारित करने के लिए इस विशेष योजना के अन्तर्गत पशु तथा भैंसों के विकास कार्यक्रमों को परस्पर सम्मिलित कर दिया गया है ताकि अनुसूचित जातियों के सभी व्यक्तियों को कुल परिव्यय के 20 प्रतिशत तक प्रजनन सेवाएं तथा सम्बद्ध सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इसमें विदेशी जर्सी तथा हालस्टिन फ्रीजियन सांडों के वीर्य से गायों का कृत्रिम गर्भाधान तथा मुर्राह नस्ल की बढ़िया भैंसों की जीवाणी प्लाविका से बढ़िया नस्ल की भैंसों का कृत्रिम प्रजनन शामिल है।

पशु चिकित्सा सेवाओं तथा स्वास्थ्य सुरक्षण के क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की स्थापना के लिए हरिजन बस्तियों तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी मुर्गीखानों व अण्डे सेने वाली हैचरियों से निकलने वाले 40 प्रतिशत चूजे अनुसूचित जातियों के लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। भेड़ तथा सूअर पालन से भी इन्हें ही लाभ पहुंचेगा क्योंकि इन पशुओं का काम सामान्य रूप में इन्हीं लोगों के हाथों में है। इस विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980–85 के दौरान 8100 परिवारों के उत्थान के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पशुओं के संकर प्रजनन का कोई भी कार्यक्रम अच्छी खुराक तथा चारे के बिना सफल नहीं हो सकता। इसीलिए दुधारु पशुओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए संतुलित पशु आहार तथा हरे चारे के महत्व के सम्बन्ध में राज्य के किसानों तथा पशुपालकों को शिक्षित किया जा रहा है। उन्हें हरे चारे के महत्व के बारे में भी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवायी जाती हैं। किसानों को ऐसे चारा प्रदर्शन भू-खण्डों को स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है जहां तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के चारा बीज सस्ती दरों पर उपलब्ध किए जाते हैं।

इस प्रकार से हरियाणा के किसानों ने आज श्वेत क्रान्ति के महत्व को समझ लिया है तथा इसे कृषि के अतिरिक्त सहायक धन्धे के तौर पर अपना लिया है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का भी तो यही उद्देश्य है कि ग्रामीण जनता के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए, और इसके लिए वरदान के तौर पर केवल एक ही हल है—ज्यादा से ज्यादा लोग दुग्ध उत्पादन तथा डेयरी को अपनाएं और देश से आर्थिक विषमता को मिटाकर खुशहाल बनें।□

बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति

प्रधानमंत्री के नए बीस सूत्री कार्यक्रम को समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग की उन्नति और विकास का एक घोषणापत्र बताया गया है। यह पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना में हर क्षेत्र में विकास की व्यवस्था की गई है, फिर इस बीस सूत्री कार्यक्रम का क्या प्रयोजन है। इस सवाल का उत्तर आसान है तो भी उसे स्पष्ट करने की जरूरत है।

नए बीस सूत्री कार्यक्रम में उन विषयों का जिक्र है जिनसे आम लोग प्रभावित होते हैं। इसमें समाज के कमजोर वर्ग की विपत्तियों को दूर करने और उन्हें खुशहाल बनाने के उपायों और कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। यही कारण है कि पिछले वर्ष से उसके कार्यान्वयन की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसमें आम लोग और खासकर गांवों में रहने वाले लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन के निवारण को प्राथमिकता देते हुए उनसे संबंधित कार्यक्रमों को तेज़ी से लागू करने पर जोर दिया गया है और इसके लिए योजना आयोग ने हर मद में पर्याप्त धन की व्यवस्था की है।

ललितेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव

प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को स्पष्ट तौर पर बताया है कि इन कार्यक्रमों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

योजना आयोग की आम शिकायत रही है कि राज्यों में योजना का कार्यान्वयन बहुत प्रभावी तौर पर नहीं होता। अब बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन नियत कार्यों को उन्हें सख्ती तथा मुस्तैदी से लागू करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों को कार्यक्रम तथा धन दोनों उपलब्ध हैं। उनके लिए यह एक तरह से परीक्षा की घड़ी है। पिछड़े वर्ग के विकास और समाज हित के कार्यक्रमों को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें इस बारे में अपनी वचनबद्धता को अमली जामा पहनाना है।

इस तरह यह कार्यक्रम छठी योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को आत्मसात करता हुआ उनके कार्यान्वयन को उच्चतम प्राथमिकता और बल प्रदान करता है। जहां पिछड़ापन है उसे दूर करने तथा जिन चीजों की कमी है उनका उत्पादन बढ़ाने की इसमें विशेष व्यवस्था की गई है। जैसे गांवों में पीने

के पानी की व्यवस्था का विस्तार, ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास, अनुसूचित और आदिम जातियों की उन्नति, गंदी बस्तियों की सफाई और आवास निर्माण और परिवार नियोजन आदि कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। बिजली का उत्पादन बढ़ाने तथा दालों और तिलहनों की खेती के विस्तार पर जोर दिया गया है। इनकी देश में कमी है। सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण पर भी बल दिया गया है जिस पर खेती निर्भर है।

भूमि सुधार इस कार्यक्रम का प्रमुख अंग है। आजादी के बाद से भूमि सुधार लागू करने पर लगातार बल दिया गया है। तो भी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। इस समस्या का हल न हो पाने से गांवों में बेकारी, तनाव और संघर्ष बढ़ता है। जमीन उसी की होनी चाहिए जो उसमें अन्न उगाता है। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है तो भी भूमि पर कब्जा पूरी तरह उनका नहीं हो पाया है जो उनमें खेती करते हैं। हर राज्यों में भूमि सीमा के कानून बनाए गए हैं जिससे फालतू जमीन भूमिहीन लोगों में बांटी जा सके। किन्तु इस मामले में भी प्रगति पर लगातार चिन्ता प्रकट की जाती रही है।

राज्य सरकारें अपने अधिकार बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इस पर विचार करने के लिए एक आयोग के गठन की भी घोषणा की गई है। किन्तु जनहित और समाज कल्याण के कार्यक्रमों को लागू करने के उत्तरदायित्व के निर्वाह के बारे में योजना आयोग तथा केन्द्र की उनसे सदा शिकायत रही है। इसका यह अर्थ नहीं कि राज्यों की सभी मांगे अनुचित हैं। किन्तु आर्थिक और सामाजिक विकास में राज्य की जिम्मेदारी केन्द्र से अधिक है। सामाजिक हित के कार्यक्रमों पर बल देने के उद्देश्य से ही बीस सूत्री कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया। नए कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष चौदह जनवरी को की। पिछला बीस सूत्री कार्यक्रम 1975 में लागू किया गया था।

इस कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम लागू करने पर बल दिया गया है। इसके अलावा छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा लागू करने की व्यवस्था की गई है। समाज के कमजोर वर्ग को उचित कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार और विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकों आदि की उपलब्धि को प्राथमिकता दी गई है। ऊर्जा के साधनों के विकास और गांव तक बिजली पहुंचाने की योजना भी उसमें शामिल है। रोजगार बढ़ाने के लिए हस्तशिल्प, हथकरघा, ग्राम और लघु उद्योगों के विस्तार की नीति और इनके लिए पूंजी की व्यवस्था सुगम बनाने पर जोर दिया गया है। सरकारी उद्यमों के काम में सुधार लाने तथा जमाखोरी और तस्करी जैसे अपराधों की रोकथाम पर भी बल दिया गया है।

योजना आयोग को राज्यों से समय-समय पर बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के बारे में रिपोर्ट मिलती रहती है। किन्तु अनेक बार यह रिपोर्ट बढ़ा-चढ़ा कर भेजी जाती है जिससे उसके बारे में संतुलित मूल्यांकन नहीं हो पाता।

नए बीस सूत्री कार्यक्रम का अब एक वर्ष पूरा हो गया है और इस हालत में उसका मूल्यांकन भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक का आयोजन इसी दृष्टि से किया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के लिए आवास भूमि के वितरण, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण आदि कार्यक्रमों के क्षेत्र में वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति सत्तर प्रतिशत से भी कम है। गांवों में बिजली पहुंचाने, भूमि के बंटवारे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना आदि के क्षेत्र में लक्ष्य की पूर्ति साठ प्रतिशत से कम है। तो भी हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में इस कार्यक्रम को लागू करने में प्रगति अच्छी रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब का नम्बर है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार, असम में इसके कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही है।

प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष मार्च में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में कहा था कि छठी योजना के लिए आवश्यक निवेश और संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप वास्तविक संसाधन जुटाने संबंधी अपने संकल्प को फिर से दुहराना चाहिए। मैं महसूस करती हूं कि परियोजना व्यय में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी और गैरयोजना खर्च में वृद्धि हुई है। केन्द्र और राज्यों को अपनी छठी योजना के लिए धन एकत्र करने और संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम के कारगर क्रियान्वयन के लिए कहीं अधिक अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। हमें न केवल पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था करनी चाहिए बल्कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए कुशल प्रबन्ध भी सुनिश्चित करने चाहिएं।

विकास की सामान्य योजनाओं के अलावा विभिन्न वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1975 में यह विशेष कार्यक्रम लागू करने के बाद से कुछ क्षेत्रों में प्रगति अच्छी रही है। बंधुआ मजदूरी समाप्त करने का कानून 1976 में बनाया गया। तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने के उपाय किये गए। निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लाखों लोगों को आयकर से छूट दी है।

अनेक लक्ष्य प्राप्त हो जाने, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन आ जाने तथा नई चुनौतियों के कारण यह जरूरी हो गया कि इस कार्यक्रम को नया रूप दिया जाए।

हमारी अर्थव्यवस्था में बेहतरी साफ दिखाई दे रही है। यह हमारे ही हाथों में है कि इसे सुनिश्चित रखें और विकास की इस गति को कायम रखें ताकि हमारे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन सुखमय हो। □

(आकाशवाणी सामयिकी से साभार)

देश के विभिन्न भागों में सूखे तथा अकाल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को विशेष सहायता

सरकार ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए 1982-83 के दौरान राज्यों को विशेष सहायता की मंजूरी दी थी । बारह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को कुल मिलाकर 409.06 करोड़ रुपये के खर्च की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी गई थी, जिसका उपयोग 31 मार्च, 1983 तक किया जाना था । इस सहायता में से 207.49 करोड़ रुपये की रकम रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निर्धारित की गई थी । इस सहायता से शुरू किए गए निर्माण कार्यों से काफी रोजगार सृजित हुआ होगा और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी होगी। राज्यों को कुल 1.13 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है, जिसका उपयोग मजदूरों को जिस में एक किलोग्राम प्रति मानव दिवस के हिसाब से अधिक मजदूरी के भुगतान के लिए किया जाना है । बूढ़ों, दुर्बल और गरीब व्यक्तियों, स्कूल न जाने वाले छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के भरण-पोषण के लिए 'निःशुल्क' राहत तथा 'पोषाहार कार्यक्रम' के तहत भी धनराशि मंजूर की गई है ।

केन्द्रीय दलों ने तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पूरे कर लिए हैं । उच्च-स्तरीय समिति ने तमिलनाडु और कर्नाटक के सम्बन्ध में केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों पर विचार कर लिया है और उन पर मंजूरी देने के लिए की जा रही कार्रवाई आखिरी चरण पर है । इस दौरान राहत कार्य जारी रखने के लिए दोनों राज्यों को इस सम्बन्ध में मंजूर की जाने वाली धन राशि में से पेशगी के तौर पर पिछले महीने 15-15 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए थे । बिहार और पश्चिम बंगाल का क्रमशः दूसरी ओर तीसरी बार दौरा करने वाले केन्द्रीय दलों की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और वे उच्च स्तरीय समिति को प्रस्तुत कर दी गई हैं । पांडिचेरी और मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में अन्तः मंत्रालय दल की सिफारिशें भी उच्च स्तरीय समिति को पेश कर दी गई हैं । हमें केरल से भी सूखे के सम्बन्ध में एक पूरक ज्ञापन प्राप्त हुआ है । मिजोरम से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जहां पिछली फरवरी और मार्च के महीने में भारी वर्षा के कारण प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो गई हैं । मिजोरम के मामले पर अन्तः मंत्रालय दल ने 6 अप्रैल को विचार किया है । वित्त मंत्रालय से शीघ्र मंजूरी जारी किए जाने की आशा है । एक केन्द्रीय दल जल्दी ही केरल का दौरा करेगा । राजस्थान से भी अप्रैल-सितम्बर, 1983 की अवधि के लिए इसकी आवश्यकता का जायजा लेने हेतु वहां एक दल भेजने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सहायता के लिए राज्यों के अनुरोध पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । चालू वर्ष 1983-84 के लिए पांच राज्यों को 50.38 करोड़ रुपये की मंजूरी पहले ही दी गई है । चूंकि नया वित्तीय वर्ष अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए राज्यों के पास संपूर्ण सीमांत धन राशि तथा विभिन्न क्षेत्रों के तहत बजट संबंधी प्रावधान राहत के उपाय जारी रखने के लिए उपलब्ध हैं । इस सम्बन्ध में उनके प्रयासों में मदद देने के लिए मामलों को अन्तिम रूप दिए जाने पर केन्द्रीय सहायता मंजूर की जाएगी ।

मद्रास शहर में पीने के पानी की स्थिति गंभीर होने की सूचना दी गई है । इस शहर को पानी की आपूर्ति मद्रास के उत्तर में लगभग 15 किलोमीटर दूर रेड हिल में स्थित झील से की जाती है । चोलावरम टैंक तक पुंदी जलाशय इस झील के लिए पानी के स्रोत हैं । इन जलाशयों के प्रबन्ध क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण, झील में पानी का प्रवाह बहुत कम हो गया है । भाग्यवश भूमिगत जल की सप्लाई उपलब्ध है और राज्य सरकार इस स्रोत का अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रयत्न कर रही है । सप्लाई की स्थिति में नलकूपों और हैंड पम्पों के जरिए तथा खुले कुओं की खुदाई करके तेजी लाई जा रही है । जिन क्षेत्रों में मौजूदा पाइप लाइनें तथा कुएं नहीं हैं, वहां लारियों तथा रेलवे वैगनों से पानी पहुंचाया जा रहा है । हमारी प्रधानमन्त्री ने 28 मार्च को तमिलनाडु का दौरा किया और उत्तरी अर्काट जिले के दूरदराज के क्षेत्रों में कुछ राहत कार्यों को देखा । उन्होंने मद्रास शहर का भी दौरा किया जहां उन्हें पीने के पानी की समस्या से अवगत कराया गया । उन्होंने इस संबंध में मंजूर की जाने वाली धन राशि में से पेशगी के तौर पर राज्य के लिए 10 करोड़ रुपये की तत्काल मंजूरी की घोषणा की । इससे पहले 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी । उन्होंने प्रधानमन्त्री के राष्ट्रीय कोष से 10 लाख रुपये की मंजूरी दी ।

सरकार के पास राष्ट्रीय बफर स्टाक में खाद्यानों का पर्याप्त स्टाक है । सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों को खाद्यान्न का पर्याप्त मात्रा में आबंटन कर रही है । राज्यों

को फरवरी माह में 12.79 लाख टन, मार्च में 13.28 लाख टन तथा इस महीने के लिए 13.93 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया है।

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कड़ाई से प्रबोधन करें और केन्द्रीय सहायता तथा खाद्यान्न आबंटन के उपयोग के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित करते रहें। उन्हें इस बात की खास तौर से सलाह दी गई है कि वे पीने के पानी की स्थिति, पशु संरक्षण, रोजगार सृजन और ग्राम स्तर पर गरीब लोगों की पोषण संबंधी स्थिति का प्रबोधन करें। □

[पृष्ठ 5 का शेषांश]

राज्य	बंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1. बिहार	130.706
2. गुजरात	127.270
3. हरियाणा	22.125
4. जम्मू तथा काश्मीर	48.345
5. कर्नाटक	49.410
6. मध्य प्रदेश	163.450
7. महाराष्ट्र	204.345
8. उड़ीसा	78.425
9. तमिलनाडु	152.830
10. उत्तर प्रदेश	207.290
11. पश्चिम बंगाल	120.500
योग :—	1304.696

इस बंटन से, वर्ष 1982–83 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल केन्द्रीय बंटन 2817.25 लाख रुपये के हो गए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान मरु भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों को 282.20 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है :—

राज्य	बंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1. गुजरात	19.215
2. हरियाणा	39.260
3. जम्मू तथा काश्मीर	16.595
4. हिमाचल प्रदेश	7.130
5. राजस्थान	200.000
योग :—	282.200

इस बंटन से, 1982–83 के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल बंटन 685.15 लाख रुपये के हो गए हैं।

कृषि विपणन

समीक्षाधीन माह के दौरान राज्य सरकारों को बाजारों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 703.51 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 1982–83 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत 769.31 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय उपदान के रूप में 156.41 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्त तक योजना के अन्तर्गत 169.77 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

अप्रैल, 1982 से लेकर दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान निर्यात के लिए एगमार्क के अन्तर्गत 33.58 लाख रुपये की मूल्य की कृषि वस्तुएं वर्गीकृत की गई थीं।

अप्रैल, 1982 से लेकर दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान आन्तरिक खपत के लिए एगमार्क के अन्तर्गत 12.24 लाख रुपये के मूल्य की कृषि वस्तुएं वर्गीकृत की गई थीं।

भूमि सुधार

राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप बनाए गए भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत 42 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है। इस भूमि में से 19.7 लाख एकड़ भूमि को भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों के 14.42 लाख से अधिक परिवारों में वितरित किया गया है। संशोधित भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत वितरित कुल क्षेत्र में से 52 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को दी गई है जो कुल लाभभोगी परिवारों की संख्या का 54 प्रतिशत है। नए 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से लेकर लगभग एक लाख निन्यानबें हजार एकड़ (1.99 लाख एकड़) भूमि को फालतू घोषित किया गया है और एक लाख पैंतीस हजार एकड़ (1.35) भूमि का कब्जा ले लिया गया है। 1.39 लाख एकड़ भूमि को 1.10 लाख पात्र परिवारों में वितरित किया गया है।

जनसहयोग

समीक्षाधीन अवधि के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिए गए अनुदानों के आबंटन में से ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रोत्साहन देने की योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रथम तथा द्वितीय किस्तों के रूप में राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों को 25.42 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है जिससे 1982-83 के दौरान किए गए कुल बंटन 46.00 लाख रुपये के हो गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की डा० (श्रीमती) ममताज थाह्रा, उप निदेशक (आई० ए० पी०) को इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में एशिया तथा प्रशांतीय क्षेत्र के लिए समन्वित ग्रामीण विकास केन्द्र द्वारा 14 से 20 मार्च, 1983 तक आयोजित किए जा रहे हैं ग्रामीण विकास में प्रबोधन तथा मूल्यांकन प्रबन्धों और तकनीकों के बारे में उप-क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने हेतु नामित किया गया ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के डा० ओ० एन० श्रीवास्तव, उप निदेशक को 15 मार्च से लेकर 16 मई, 1983 तक क्षत्रीय विकास नागोया (जापान) के लिए संयुक्त राष्ट्र केन्द्र में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय विकास आयोजना हेतु 1983 के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु नामित किया गया है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के डा० आर० एन० त्रिपाठी, निदेशक (आई० ए० पी०) को 21 से 25 मार्च, 1983 तक बैंकाक में स्थानीय स्तर की आयोजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की क्षेत्रीय जांच के बारे में हुई 'एस्कैप' की बैठक में भाग लेने हेतु नामित किया गया।

श्री एस० सी० जैना, वन अधिकारी को 28 मार्च से लेकर 20 मई, 1983 तक विश्व बैंक के आर्थिक विकास संस्थान, वाशिंगटन में वानिकी परियोजना पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु नामित किया गया । □

भीलवाड़ा डेयरी का लालचिट

श्याम सुन्दर जोशी

भीलवाडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने जिले में पशुपालकों की तत्काल सहायता के लिए "लालचिट" व्यवस्था चालू कर रखी है ।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत पशुपालक अपने पशु के बीमार होने और चिकित्सक की आवश्यकता महसूस करते ही दुग्ध एकत्रित करने वाली वाहन, जो प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर उनके गांव होकर निकलती है, के चालक को "लालचिट" दे देता है, जिस पर पहले ही उस पशुपालक का परिचय तथा उन्नत नस्ल के पशु का ब्यौरा लिखा रहता है ।

वाहन चालक इस चिट को दुग्ध संकलन केन्द्र को देता है और वहां से भीलवाड़ा स्थित केन्द्रीय कार्यालय को पहुंचा दिया जाता है । जहां अविलम्ब इस पर कार्यवाही होकर चिकित्सक तथा औषधि सहित एक वाहन पशुपालक के घर पहुंच जाता है । यह सारी प्रक्रिया इतनी शीघ्र होती है कि चार घण्टों में चिकित्सा यूनिट पशुपालकों की सेवा में होती है ।

सही सूचना के आधारस्वरूप पशुपालक से "लालचिट" के साथ ही थोड़ा सा शुल्क भी जमा कराया जाता है जो डेयरी के सदस्यों से 25 रु० तथा गैर सदस्यों से 50 रु० देने का प्रावधान है ।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में विश्व बैंक के विशेषज्ञ श्री हेरीडसन ने भीलवाड़ा डेयरी के एक लाख लिटर क्षमता वाले दुग्ध संयंत्र का अवलोकन कर इसे विश्व के अच्छे संयंत्रों में से एक बताया है । □

कल्पना में श्रम के पंख जोड़ते चलो

हेमन्त गोस्वामी

कल्पना में श्रम के पंख जोड़ते चलो ।
विकास के गगन में दूर-दूर उड़ चलो ।।

अभी तुम्हारी बाजुओं में है बला का जोश ।
अभी तो वक्त है कि तुम जगा लो अपने होश ।।
प्रस्तरों के बीच राह खोजते चलो ।
कल्पना में श्रम के पंख जोड़ते चलो ।।

हो तिमिर तो आस्था के दीप जोड़ लो ।
हो निडर भंवर से अपनी नाव खींच लो ।।
हौसलों के पाल तान नाव खे चलो ।
कल्पना में श्रम के पंख जोड़ते चलो ।।

जो गिर पड़ें उन्हें उठा के थाम लो ।
जो छूट जायें तुम उन्हें भी अपने साथ लो ।।
बेकसों में प्रेम-पुष्प बांटते चलो ।
कल्पना में श्रम के पंख जोड़ते चलो ।।

जिला सांख्यिकी कार्यालय,
जिलाधीश भवन,
बीकानेर-334001
(राजस्थान)

पहला सुख निरोगी काया

ग्रीष्म ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय

वैद्य गोपाल सहाय शर्मा

अन्य ऋतुओं की अपेक्षा इस ऋतु में पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट रहती है। मई, जून और जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्द्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। यह ऋतु आदान काल के द्वारा आती है और इसमें सूर्य की शक्ति की प्रधानता रहती है। इस मौसम में पृथ्वी और सूर्य के समीप रहने से सूर्य की किरण प्रचण्ड वेग से पृथ्वी के सार भाग (स्नेह, तेज, बल) को शोषित करता हुआ सारे वातावरण एवं खाद्य पदार्थों को भी सारहीन कर देता है। इसी कारण आजकल प्राणियों के शरीर में वायु का संचय, कफ का क्षय तथा पित्त प्रकोप हो जाता है। परन्तु उष्णतावश वायु का प्रकोप नहीं होने पाता। वायुमण्डल में प्राण वायु (आक्सीजन) की भी अपेक्षाकृत अन्य ऋतुओं की अपेक्षा कमी आ जाती है। यही कारण है कि गर्मी अधिक पड़ने के दिनों में मनुष्य का दम घुटने लगता है। बेचैनी महसूस होती है। पसीना भी खूब आता है जिससे शरीर में जलीयांश की कमी हो जाती है। जठराग्नि भी मन्द हो जाती है। जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है।

ग्रीष्म ऋतु में खानपान

इस मौसम में नित्य आहार में जौ, और ज्वार की रोटी, खांड के साथ चावल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, गेहूं का दलिया, मूंग की पकौड़ी, लौकी तथा ककड़ी का दही मिला रायता, परबल, प्याज, लौकी, तोरई, भिण्डी, करेला, कटहल आदि की सब्जी खानी चाहिए। बाजार की कटी हुई सब्जी नहीं लेनी चाहिए। सुबह-शाम शौच-क्रिया से निवृत्त होकर पेठे की मिठाई सेब, आंवले, गाजर का मुरब्बा, ताजा दूध, दही की लस्सी बिना बर्फ डाले तथा ब्रह्मी, खस, अनार, गुलाब, चन्दन, उन्नाव का शर्बत पीना चाहिए। भोजन में इमली, आंवले की चटनी—काली मिर्च, जीरा, सैंधा नमक, पुदीना तथा मिश्री मिलाकर खानी चाहिए। इसमें प्याज की कतरन काटकर मिला देने से अधिक रुचिकर हो जाती है। पुदीना, प्याज और इमली का सेवन इस मौसम में अवश्य करना चाहिए। यह जठराग्नि को तेज़ करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार प्याज वात विनाशक, पित्त शामक और कफ निःसारक है। प्याज का सेवन गर्मी में लू लगने से बचाता है। हैजा होने से भी बचाता है। गरीब अमीर सभी इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं।

इन दिनों ककड़ी, खीरा, पपीता, बेल, शहतूत, मौसमी, लुकाट, लीची, तरबूज और आम आदि पित्त नाशक, गर्मी नाशक फलों का सेवन करना अधिक हितकारक होता है। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि के खाने के साथ-साथ पानी नहीं पीना चाहिए।

फलों के राजा आम का सेवन अपूर्ण रस वीर्य होने पर भी स्वास्थ्यवर्द्धक, स्फूर्तिदायक है। कच्चे आम का सेवन नहीं करके उसे आंच में भून कर उसका जलजीरा बनाकर पीने से हाजमा सही रहता है तथा लू लगने का डर नहीं रहता। इस मौसम में गुलाब जल, कर्पूर आदि जल में मिलाकर पीना चाहिए। इस मौसम में भैंस का दूध शर्करा मिला कर पीना स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। □

तक्र (मट्ठे) से उपचार

रश्मि अग्रवाल

1—भोजन के साथ मट्ठा लेने से भोजन शीघ्र पचता है। अजीर्ण नहीं होगा और पेट विकार नष्ट होंगे।

2—त्वचा की स्निग्धता स्थिर रखने के लिए मट्ठे की मालिश किया कीजिए।

3—बाल मट्ठे से धोने से घने चमकीले होते हैं और खुश्की, रूसी, फियास नहीं रहती।

4—सग्रहणी में मट्ठे का सेवन काला नमक के साथ लाभदायक रहता है।

5—मट्ठे के नियमित सेवन करने वालों को दस्त, अपच, कब्ज, अनिद्रा, गैस की शिकायत नहीं रहती। गुड़ के साथ या भुने चनों के साथ मट्ठा पीना और भी हितकारी रहता है।

6—वायु से उत्पन्न रोगों में सौंठ और सेंधा नमक मिले चूर्ण से दिन में 2 बार मट्ठा पीजिए।

7—कफ जनित रोगों में सौंठ, पीपल, काली मिर्च मिला चूर्ण मट्ठे के साथ दिन में 2 बार लें।

8—बवासीर में भी मट्ठा हितकारी है।

9—भोजन के साथ मट्ठा लेने से भोजन सुपाच्य बनता है और पानी पीने की भी जरूरत नहीं रहती है।

10—मट्ठा शरीर से विजातीय द्रव्यों को सुगमता से निकालता रहता है। विजातीय पदार्थों व द्रव्यों के शरीर में इकट्ठे होने पर ही रोग होते हैं।

11—मट्ठे का सेवन शरीर में रक्त शुद्ध करके रक्त संचालन नियमित करता है।

12—आंतों के रोग भी इससे दूर होते हैं। □

कहानी

रोशनी की ओर

डा० पुष्पलता भट्ट "पुष्प"

गांव की सीमा पर पांव रखते ही हिमांशु का हृदय अपूर्व उल्लास से भर उठा। उसके पांव तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। दूर से ही उसे आंगन में काम करती अपनी भाभी दिखलाई दे रही थीं। पास आते ही उसने भाभी के पांव छुए तो वह आश्चर्य में पड़ गई। प्यार से उसे उठाते हुए अनायास ही उसके मुंह से निकल गया "बिना खबर दिए कैसे आए ?"

"अरे भई कौन आया है ?" मीना की आवाज सुनकर उसके पति ने पूछा ?

"और कौन आ सकता है अपने डा० साहब हैं।" मीना मुस्काई।

"कौन डा० साहब ?" कहते हुए शंकर लाल बाहर आए। सामने हिमांशु को देखकर खुशी से झूम उठा। इससे पहले कि हेमू उनके पांवों के स्पर्श के लिए झुके उन्होंने उसे सीने से लगाकर चूम लिया और गदगद स्वर में कहने लगे "आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। हेमू तुमने डाक्टर बन कर मेरे सपने को पूरा कर दिया।"

"भैया यह आपके आशीर्वाद का फल है।" हिमांशु ने कहा।

"यह सब तुम्हारी भाभी के साहस व त्याग का परिणाम है" कह कर शंकर लाल मीना की ओर देख कर मुस्कराए तो वह लजा कर कह उठी :—

"यह सब तो धरा रह जाता अगर अपना हेमू मेहनत न करता।"

भाभी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हिमांशु सकपका कर बोला, "कितना लम्बा सफर तय करके आ रहा हूं। एक भाभी है कि बातें ही बनाए जा रही है।"

"अभी तो सफर की शुरुआत ही है अभी से थक गए तो इतने बड़े सफर को कैसे पूरा करोगे ?" कहते हुए मीना अन्दर जाने लगी।

"भाभी इसी तरह मेरे आगे चलती रहीं तो यह सफर पलक झपकते ही तय हो जाएगा।" कहकर हेमू भाभी के पीछे-पीछे श्रद्धा से चल पड़ा। जिसे देख कर शंकर लाल खिलखिला पड़े। नहा धो कर अपनी भाभी के पास बैठते हुए हेमू ने प्रश्न किया "गांव में तो सब ठीक होंगे ?"

"शहर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ?" बात टालते हुए मीना ने कहा।

"आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया ?" हेमू की प्रश्न सूचक दृष्टि भाभी के चेहरे पर टिक गई। "और तो सब ठीक है पर रामू काका की हालत बहुत खराब है। यह समझ लो आज मरे कल दूसरा दिन।" कहते-कहते मीना उदास हो गई।

हेमू जब तक गांव में रहा रामू काका से उसे भरपूर प्यार मिलता रहा। उनकी हालत सुनकर उसे रहा न गया तो पूछ बैठा "आखिर उन्हें हुआ क्या ?"

"यह तो राम ही जाने" गिलास में दूध डालते हुए मीना ने कहा।

"भाभी मैं जरा उन्हें देख आऊं ?"

"अरे दूध ठण्डा हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बता नहीं रही थी" मीना ने घबराकर कहा पर तब तक हेमू बाहर जा चुका था।

हेमू को अचानक आया देखकर रामू काका के मुख पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। उनके जीर्ण शरीर को देखकर हेमू कांप उठा। "यह तुम्हें क्या हो गया काका ?"

रुआंसा होकर हेमू ने पूछा तो रामू काका ने अपनी दीन निगाहें उसके चेहरे पर टिका दीं।

"क्यों जग्गू इन्हें कहीं दिखलाया नहीं ?" हेमू ने रामू काका के पुत्र से प्रश्न किया। उसने बड़ी मासूमियता से उत्तर दिया "सबको दिखाकर हार चुका हूं। पर कोई फरक ही नहीं पड़ रहा। क्या रोग बताया है।"

"भया कुछ समझ में नहीं आता कोई भूत बताता है तो कोई चुड़ैल। कोई कहता है देवी का प्रकोप है।" जग्गू का स्वर भीग उठा। इससे पहले कि हेमू कुछ कहे जग्गू ने पास के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा "आज ही इन्हें बुलाकर लाया हूं।" हेमू ने देखा वहां एक 60–65 वर्षीय वृद्ध मंत्रों के जाप में लीन है। "यह कौन हजरत हैं ?" विस्मय से उसने पूछा।

"अरे दादा इन्हें नहीं जानते। यह शंभु काका हैं। आस-पास के गांव में इनके बराबर का कोई ओझा नहीं मिलेगा। सुना है भूत

या देवी. इनके सामने कोई नहीं टिक पाता ।"

"यह क्या जग्गू ! इन्हें किसी डाक्टर को दिखाने की बजाय तुम ओझा आदि के चक्करों में पड़ गए ?" इतना सुनना था कि शंभुनाथ जी मंत्रों का जाप छोड़ कर चीखे "मेरा अपमान करने के लिए मुझे यहां बुलाया गया था । मैं जा रहा हूं । इन्हीं से इलाज करवाओ ।"

"हेमू भैया आप डाक्टर बन गए तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारे सब हकीम, ओझा बेकार हो गए हैं ।" घबराकर जग्गू ने कहा ।

"जग्गू इस बीसवीं सदी के युग में जब आदमी चांद पर जा रहा है तुम इस पुराने ढकोसलों पर विश्वास करते हो ?" हेमू का स्वर अत्यन्त दु.खी था ।

"भैया यह वक्त उपदेश का नहीं है । आप मेहरबानी करके यहां से चले जाइए ?" कहते हुए जग्गू ने हाथ जोड़ दिए ।

हेमू को लगा जैसे उसके गाल पर कसकर थप्पड़ मार दिया हो । वह भारी कदमों से घर आया । उसका उतरा चेहरा देखकर द्वार पर खड़ी भाभी ने घबरा कर पूछा, "रामू काका ठीक तो हैं ?" उसकी बात का कोई उत्तर न दे, रामू चुपचाप अन्दर चला गया । उसकी आंखों के सामने डाक्टर के अभाव में नीम-हकीमों के चक्कर में दम तोड़ती अपनी मां का चित्र घूम गया । मां की अचानक व अकाल मृत्यु से पीड़ित शंकर ने उसी दिन हेमू को डाक्टर बनाने का फैसला किया था । उसने अपना प्रस्ताव हेमू के सम्मुख रखा तो एक आज्ञाकारी बालक की भांति उसका सिर झुक गया था ।

तो क्या भैया का सपना टूट जाएगा । गांव में अब भी अकाल मृत्युएं होंगी । सोचते-सोचते हेमू चीख पड़ा 'नहीं-नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा ।'

'क्या नहीं होने दोगे' भाभी की आवाज ने उसकी तन्द्रा को भंग किया तो उसने देखा सामने दूध का गिलास लिए भाभी खड़ी है ।

'रामू काका के घर से आने के बाद तुम इतने उदास क्यों हो । वहां खैरियत तो है न ?' घबराई मीना ने पूछा ।

'भाभी ओझा आदि के रूप में ये मानवता के लुटेरे गांव की भोली-भाली जनता को कब तक लूटते रहेंगे ?'

मीना को हेमू की उदासी का कारण समझते देर नहीं लगी । अत: बोली 'जब तक गांव वालों में लुटने की क्षमता है तब तक ।'

'लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए ।'

'जब गांव वाले खुद नहीं जीना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं ।' मीना ने समझाया 'नहीं-नहीं भाभी ऐसा मत कहो । हम उनके अज्ञान को दूर करके रोशनी की ओर ले जाएंगे । नहीं तो भैया का सपना चूर-चूर हो जाएगा । बोलो भाभी तुम मेरा साथ दोगी न ?'

"मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं पर मैं कर ही क्या सकती हूं ।" मीना ने अपनी असमर्थता प्रकट की । "मैंने एक योजना बना ली है ।" उत्साह से हेमू बोला "जरा मैं भी तो सुनूं अपने देवर की योजना" वातावरण की बोझिलता को दूर करने के प्रयास में मीना ने कहा ।

'राज की बातें कान में कही जाती हैं । सुना नहीं दीवारों के भी कान होते हैं ?' हेमू ने कहा तो खिलखिलाती मीना ने अपना कान उसके मुंह के समीप कर दिया । पर हेमू ने जो कुछ कहा उसे सुनकर घबरा कर बोली—"नहीं-नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे भैया व गांव वाले क्या सोचेंगे ।"

"अरे भाभी उन्हें मैं समझा दूंगा" भाभी को मनाते हुए हेमू कहने लगा 'देखो भाभी आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली आज यह जानकर कि इसमें मेरी, तुम्हारी, भैया व गांव वालों की भलाई है, तुम मेरी बात मानने से इन्कार कर रही हो ।' मीना ने देखा कि हेमू की आंखों में आंसू आ गए हैं तो वह विचलित हो उठी ।

"देखा हेमू तुम्हारे आंसुओं के आगे मैं हमेशा झुक जाती हूं ।"

"तो मैं समझूं मेरी भाभी ने मेरी बात मान ली" खुशी से झूमकर उसने अपनी बाहें भाभी के गले में डाल दीं ।

दूसरे दिन सूरज भी न निकलने पाया था कि घबराया हेमू रामू काका के घर आ पहुंचा । उसे देखकर शंभुनाथ घबरा गए पर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा हेमू उनके पास आकर कह रहा है "काका जल्दी चलो पता नहीं भाभी को क्या हो गया है ।" शंभुनाथ एक बार तिरछी नजर उस पर डाल कर फिर जाप में ली हो गए ।

"क्यों दादा आज आपकी डाक्टरी काम नहीं आ रही क्या ?" जग्गू के व्यंग्य को अनसुना करके वह फिर शंभुनाथ से कहने लगा :—

"काका गलती मेरी है । आप मुझे जो सजा देंगे । मैं तैयार हूं । पर मेरी गलती की सजा भाभी भुगत रही हैं ।"

"जी तो चाहता है तुम्हें धक्का देकर निकाल दूं । पर उस बेचारी का क्या कसूर।" कहकर शंभुनाथ हेमू के पीछे चल पड़ा । उसके पीछे अन्य लोग भी चल पड़े । घर पहुंचकर देखा मीना कभी जोर-जोर से दहाड़ मारकर रो रही है तो कभी हंस रही है । कभी किसी चीज को फेंक रही है । शंकर लाल उसे काबू करने में असमर्थ हो रहे हैं । शंभुनाथ हिम्मत करके आगे गए । उन्होंने जैसे ही मीना का हाथ पकड़ा मीना ने इतनी जोर से धक्का दिया कि शंभुनाथ की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई ऐसा लगता है कि इस पर किसी भूतनी का प्रकोप है ।" घबराए स्वर में वे बोले ।

'आपके सामने किसकी मजाल है जो यहां टिके ।'

हेमू ने जोश दिलाया तो वे मूंछों पर ताव देकर मंत्रों का जाप करने लगे । 'तू इस बेचारी को क्यों तंग कर रही है । बोल तुझे क्या चाहिए ?' शंभुनाथ ने कड़क कर पूछा ।

'मेरा अपमान किया गया है । अब म पूजा के द्वारा ही जा सकती हूं । नहीं तो सारा गांव नष्ट हो जाएगा ।' इतना सुनना था कि गांव वालों के मुख भय से सिहर उठे । सबकी तिरस्कार भरी दृष्टि हेमू पर टिक गई । इससे पहले कि ओझा जी कुछ कहते हेमू बोल पड़ा । 'मैं हर प्रकार की पूजा करने को तैयार हूं ।' "दूर हट पापी तू इस काबिल नहीं है । मेरी पूजा करने का अधिकार किसी धर्मात्मा को ही है ।" मीना गरजी ।

"फिर आप ही नाम बताइए ।" अपनी आवाज को मुलायम बनाकर मीना ने पूछा ।

"मेरी पूजा सिर्फ तुम ही कर सकते हो" सुनकर ओझा जी का सीना गर्व से तन गया ।

"शंभुकाका आप पूजा कीजिए मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा ।" हेमू ने कहा तो शंभुनाथ की बांछें खिल गईं पर बाहर से गंभीर बनते हुए मीना से प्रश्न किया "मुझे क्या-क्या करना होगा ?" "तुम्हें एक हफ्ते तक बिना अन्न जल ग्रहण किए सुबह-शाम ठण्डे जल से नहा कर मेरे नाम का दीप जलाना होगा ।" मीना ने कहा ।

यह सुनकर ओझा जी का सारा उत्साह ठण्डा पड़ गया । एक तो बिना अन्न-जल के रहना । दूसरा पूस की ठण्ड में दो समय ठण्डे जल से नहाना । यह सोचकर ही उनकी रुह कांप उठी । पर गांव वालों के भय से चुप रहे ।

दूसरे दिन प्रातः उन्हें उठाकर ठंडे जल से स्नान कराया गया तो उनके होश उड़ गए । नहाने के बाद गरम-गरम चाय पीने की इच्छा को उन्हें दबाना पड़ा । अभी दिन की ठण्ड ने पीछा नहीं छोड़ा था कि शाम को फिर नहाने का नम्बर आ गया । दिन भर भूखे रहना और उस पर नहाना । एक ही दिन में ओझा जी को दिन में तारे नजर आने लगे । वे सोचने लगे कि अब तो गनीमत इसी में है कि म मौका पाकर चुपचाप भाग जाऊं । रात को जब सारा गांव चन की नींद ले रहा था ओझा जी अपने भागने की तैयारी में लगे थे । हेमू तो इसी मौके की तलाश में था । उसने गांवों वालों को उठाया । भागते हुए शंभुनाथ को देखकर गांव वाले अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो गए । उन्होंने आव देखा न ताव पंडित जी को पीटना शुरू कर दिया ।

"तुम इन्हें मार डालोगे तो पूजा कौन करेगा ।"

हेमू के शब्दों ने भीड़ को शान्त किया । शंभुनाथ गिड़गिड़ा कर बोले "बेटा तुम भी इन फिजूल की बातों में विश्वास करने लगे ।"

"काका ऐसी बात मत कहो कहीं भूतनी फिर से भड़क उठे" हेमू ने अपना मुंह ऐसा बनाया मानो सचमुच डर गया हो ।

"यह सब ढ़ोंग है" शंभुनाथ चिल्लाए "भूतवूत कुछ नहीं होता ।"

"फिर आज तक आप गांव वालों को कैसे लूटते रहे ?" हेमू ने प्रश्न किया ।

शंभुनाथ ने देखा कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली तो लाचारी से उत्तर दिया । "इसमें मेरा ही दोष तो नहीं है । गांव वाले खुद लुटने को मेरे पास आते हैं । फिर मुझे भी तो अपना पेट पालने के लिए कुछ करना ही था ।"

गांव वाले कभी हेमू व कभी शंभुनाथ का मुंह ताक रह थे उनको असमंजस में देखकर हेमू ने कहा "मेरा नाटक कामयाब रहा । आपने अपनी पोल अपने ही मुंह से खोल दी ।"

"क्या मतलब ?" शंभुनाथ चौंके ।

"मतलब यह कि मेरे अनुरोध पर भाभी को यह नाटक करना पड़ा जिसके चक्कर में आप आ गए । "हेमू ने ठहाका लगाया ।

"पकड़ लो इस पाजी को इसने सारे गांव वालों की आंखों में धूल झोंकी है ।" ओझा जी चिल्लाए ।

"धूल तो आप झोंक रहे थे पंडित जी आज तक हमारी आंखों में" सम्पूर्ण वार्तालाप को सुन कर लोग एक साथ चिल्ला पड़े ।

"क्यों जग्गू भैया अब तो समक्ष गए हो कि ये ओझा आदि गांव की भोली-भाली जनता को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं ?" हेमू ने जग्गू से पूछा ।

"भैया अब अधिक शर्मिन्दा न करो । पहले ही देर हो गई । अब जल्दी चलकर मेरे बापू के प्राण बचा लो ।" जग्गू ने हेमू के पांव पकड़ लिए ।

उसे उठाते हुए हेमू ने कहा "जग्गू काका ने हमें भी उतना प्यार दिया जितना तुम्हें । मेरे लिए भी उनकी जान बहुत कीमती है ।"

"भाभी शुभ काम के लिए जा रहा हूं आशीर्वाद दो" जाने से पहले मुस्कराते हेमू ने भाभी के पांव छुए तो वह गदगद स्वर में बोली :—

"जल्दी जाओ देर करना बेकार है ।"

हेमू जग्गू के साथ तेजी से चल दिया । द्वार पर खड़ी मीना उसे अपलक नेत्रों से देख रही थी । हेमू के उत्साह से आगे बढ़ते कदम देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसका प्रत्येक कदम गांव वालों की रोशनी की ओर ले जा रहा था है ।□

जी-5 एन० डी० एम० सी० क्वार्टर्स
तुगलक क्रेसंट, नई दिल्ली

शिशु एक सुख अनेक

हम सब बाधाएं पार कर सकते हैं

भारत को नवें एशियाई खेलों के आयोजन में जो शानदार सफलता मिली उससे इन खेलों के कड़े से कड़े आलोचक भी भौचक्के रह गए। इस अविस्मरणीय सफलता का रहस्य था—

"कड़ी मेहनत और इसके साथ
अनुशासन तथा अपने उद्देश्य की सही
और साफ जानकारी" जैसा कि
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नये
बीस सूत्री कार्यक्रम के श्रीगणेश के
समय राष्ट्र का आवाहन करते हुए
कहा था।

इसी भावना से काम करते हुए हमने देखते ही देखते भव्य स्टेडियम तैयार कर लिए और एशियाई खेलों का आयोजन अत्यन्त सुचारु ढंग से और कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया। जिस तरह हमने एशियाई खेलों को सफल बनाया, उसी तरह हम अपनी पंचवर्षीय योजना और नये बीस सूत्री कार्यक्रम को भी सफल बना सकते हैं।

आइए हम सब मिल कर एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में जुट जाएं

davp 82/581

केन्द्र के समाचार

छठी योजना में अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने की आशा

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री पी० वेंकटसुब्बइया ने कहा है कि भारत सरकार अनुसूचित जातियों की समस्याओं के प्रति चिंतित है और हमारी प्रधानमंत्री उनके तीव्रगामी सामाजिक-आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता देती हैं। 1985 के अन्त तक अनुसूचित जाति के लगभग 50 प्रतिशत परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने की आशा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य योजनाओं से 4000 करोड़ रुपये से अधिक राशि अनुसूचित जातियों की भलाई की विशेष योजनाओं के लिए दी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 600 करोड़ रु० विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों के त्वरित विकास को शामिल किए जाने के कारण विशेष योजना के अन्तर्गत इन समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अनुसूचित जाति विकास निगम अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि निगमों को अधिक मात्रा में धन मुहैया कराया जा रहा है इसलिए यह जरूरी है कि निगमों के कार्यक्रमों को विस्तृत रूप तैयार किया जाए और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से सम्बद्ध व्यक्ति इस उद्देश्य के प्रति पूर्णतया समर्पित हों। उन्होंने सुझाया कि इन कार्यक्रमों की योजना बनाते समय बैंकों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए।

मछुओं के लिए सामुहिक बीमा योजना

सामूहिक बीमा योजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अन्तर्राज्यीय नदी घाटी तथा समुद्री क्षेत्रों में कार्य कर रहे उन सभी मछुओं पर लागू होती है, जो मछुआ सहकारी समितियों/संघ/कल्याण संगठनों के सदस्य हैं तथा होंगे। मृत्यु होने पर या दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अपंग होने पर 15,000 रु० का बीमा संरक्षण तथा आंशिक रूप से अपंग होने पर 7,500 रुपये का बीमा संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक पालिसी पर वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक प्रीमियम का 50 प्रतिशत राशि पर केन्द्रीय सरकार राजसहायता देगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि पूर्ण रूप से या ऐसे संगठनों, जिनके मछुआरे सदस्य हैं, के सहयोग से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वहन की जाएगी। वार्षिक प्रीमियम के आधार पर केन्द्रीय राजसहायता संगठनों को राज्य सरकारों के माध्यम से निर्मुक्त की जाएगी जिसे ये संगठन बीमा कम्पनियों को अदा करेंगे। समुद्री मछुओं की 21 लाख जनसंख्या में से लगभग 5 लाख सक्रिय मछुआरे हैं।

सस्ती गोबर गैस के संयंत्र

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई० सी० ए० आर०) बड़ी मात्रा में जैव गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए जैव गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना को कार्यान्वित कर रही है और इसको बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों जिसमें नवीनीकरण स्रोत भी शामिल हैं, को इस्तेमाल करने के लिए एकीकृत परियोजनाएं अग्रगामी आधार पर बनाई जा रही हैं।

जैव गैस पर एक राष्ट्रीय तकनीकी समिति जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि भी शामिल है, खर्च को कम करने और विभिन्न फील्ड सामग्री का इस्तेमाल करने वाले जैव गैस संयंत्रों की क्षमता को सुधारने की संभावना का पता लगा रही है।

70 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं

वर्ष 1980 से जब छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, इस वर्ष जून, 1983 तक 70 लाख हैक्टेयर से अधिक अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने का अनुमान है। इस योजना के शेष दो वर्षों में भी, उपलब्धि की इसी गति की दर से और 47 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं जुटाने की आशा है। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत लगभग 120 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकेगी। इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 6 करोड़ अस्सी लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता तैयार की जा सकेगी और इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में बहुत सहायता मिल सकेगी। इसके लिए 12,758 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इतनी अधिक राशि की व्यवस्था सिंचाई के लिए इससे पहले कभी नहीं की गई थी। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ सिंचाई क्षमता की दर में भी वृद्धि की गई।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

भारत सरकार ने 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की थी। यह बोर्ड दूध के उत्पादन को, अधिकाधिक

बढ़ाने तथा बाजार में उसको बेचने के लिए तकनीकी, इंजीनियरी, सलाहकार, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की व्यवस्था करता है। इसके बाद 1970 में भारतीय डेयरी निगम की एक एजेंसी के रूप में स्थापना की गई थी जो डेयरी विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था करता है। भारतीय डेयरी निगम पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन है। इसका मुख्य कार्य भारत को समान अनुदान के रूप में दिए गए डेयरी उत्पादों की बिक्री तथा इस तरह से प्राप्त हुई आय को राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजनाओं, विशेषकर बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों के संचालन पर खर्च करना, डेयरी संयंत्रों को डेयरी मशीनरी सप्लाई करना, विदेशी उत्तम किस्म की नस्ल की गायों का आयात करना तथा भारतीय डेयरी गायों का निर्यात करना आदि है।

गंदी बस्तियों के सुधार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम

भारत सरकार और राज्य सरकारें दस वर्ष के भीतर देश में गन्दी बस्तियों की समस्या को सुलझाने और इस अवधि में सभी गंदी बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं। चालू योजना के दौरान, मार्च 1985 तक, गंदी बस्तियों में रहने वाले लगभग एक करोड़ लोगों तक आधारभूत सुविधाएं पहुंचाने का केन्द्र सरकार का विचार है। मद्रास और कानपुर में शहरी विकास परियोजनाओं में विश्व बैंक की सहायता से गंदी बस्तियों के सुधार की कुछ बड़ी योजनाओं को पहले ही शामिल किया जा चुका है।

भारत में सभी शहरी इलाकों में 1985 तक गंदी बस्तियों की आबादी लगभग 3 करोड़ 30 लाख हो जाने का अनुमान है। राष्ट्रीय भवन संगठन के अनुमान के अनुसार इसमें से लगभग 40 प्रतिशत आबादी महानगरों में और अन्य 30 प्रतिशत एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में है।

गंदी बस्ती सुधार कार्य का सबसे बड़ा कार्यक्रम कलकत्ता में चलाया जा रहा है जहां लगभग 30 लाख लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं।

सौर ऊर्जा द्वारा उठाऊ सिंचाई

लघु-सिंचाई तथा पेय जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल को ऊपर उठाने के वास्ते सौर ऊर्जा के उपयोग के संबंध में प्रदर्शन तथा क्षेत्रीय परीक्षण, केन्द्र के परम्परागत ऊर्जा साधन विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के राज्यों तथा दिल्ली और मिजोरम के संघ, राज्य क्षेत्रों में 70 पम्प स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ऊर्जा के अतिरिक्त साधनों संबंधी आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, अनेक राज्य सरकारों को रियायती कीमत पर भी पम्प सप्लाई किए गए हैं। ये पम्प जब धूप खूब खिली हो तो 5 से 8 मीटर के समग्र शीर्ष पर, औसतन 30,000 से 40,000 लिटर जल, प्रतिदिन उठाने में सक्षम है।

सिंचाई मंत्रालय ने भी छठी योजना, 1980-85 के दौरान, सौर पम्पों, पवन चक्कियों, हाइड्रामों और छिड़काव यंत्रों इत्यादि, के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम के अन्तर्गत, जल-उठाने वाले इन यंत्रों के लिए लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए 50 से लेकर 75 प्रतिशत तक और अन्य व्यक्तियों के लिए 20 से 33⅓ प्रतिशत तक आर्थिक-सहायता दी जाएगी। आर्थिक-सहायता, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर हिस्से में बांटी जाएगी। □

अंतर

गाँव	शहर
विहान	भोर
पक्षियों का गान	भोंपुओं का शोर
स्नान, ध्यान	पहल की होड़
खेत और खलिहान	चांदी का जोर
जान न पहचान	तोर न मोर
राम-राम	मैं शरीफ, तू चोर।
सलाम।	

पंकज आनन्द

विजय भवन, जलसार रोड़
पत्रालय-बी० देवघर,
जिला सं० प०
पिन-814112 (बिहार)

नई तकनीक + नई चेतना = नई उपलब्धियां

शक्ति त्रिवेदी

अपने काम में व्यस्त रिसालो

होलंबी कलां, जो आज सुनियोजित विकास का एक जीता-जागता दस्तावेज है, कुछ वर्ष पूर्व शोषण, अज्ञान और निराशा के अंधेरे से घिरा हुआ था। सामन्ती युग में इसे मिटाने का प्रयास कभी न हुआ और यह अज्ञान का अंधेरा और गहराता चला गया। किन्तु अब लोकतन्त्री विकास और 20 सूत्री कार्यक्रम के नए युग ने पुरानी कालिमा मिटाकर इस गांव में रोशनी की नई किरण बिखेर दी है। दिल्ली के उत्तर में कुछ दूरी पर स्थित होलंबी कलां गांव में कमजोर वर्ग के भूमिहीन किसान परिवारों की महिलाओं ने छोटे-छोटे खेतों में ऐसी क्रांति ला दी है जो बड़े-बड़े किसानों को चुनौती देती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपढ़ और छोटे किसानों की मदद की एक मिसाल कायम की है। होलंबी कलां गांव में 40 भूमिहीन किसानों को जब खारी और तेजाबी असिंचित जमीन 1970 में दी तो उनके सामने एक ओर खुशी थी तो दूसरी ओर उसे जोतने और बोने की समस्या मुंह बाये खड़ी थी। इस जमीन से जूझने के बाद जब कुछ भी हासिल न हुआ तो 1975 में पूसा के वैज्ञानिक इनकी मदद के लिए वरदान बन कर आए। कमजोर वर्ग के भूमिहीन किसानों को, इन वैज्ञानिकों ने

जमीन को सुधारने का तरीका बताया, वह भी बिना जिप्सम के। खेत में पानी की मार करके ही खार को नीचे धकेल दिया। यह भी एक नया प्रयोग था। आज ये किसान खरीफ में धान और रबी में भरपूर गेहूं उगा रहे हैं। धान की उपज 40 क्विंटल और गेहूं की 42 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक प्राप्त की गई है। जबकि आस-पास की जमीन में 14 क्विंटल की पैदावार ही थी। ज्वार बाजरा, जौ का उत्पादन भी 7–8 क्विंटल तक था। सन् 1974 से 1981 तक इन किसानों की सालाना आमदनी 638 रुपये से बढ़कर 2262 रु० तक पहुंच गई। साथ में घर-परिवार की महिलाओं को इन खेतों में काम भी मिला जो उनकी जीविकोपार्जन का साधन बन गया। बची हुई उपज को बाजार में बेचकर किसानों ने अतिरिक्त आय प्राप्त की।

सूरजो और रिसालो अपनी फसल दिखाते हुए

50 वर्षीय रिसालो ने अपनी फसल को दिखाते हुए बताया —'हम लोग भूमिहीन किसान थे। सरकार ने हमें जमीन दे दी। मगर असली लाभ पूसा इन्स्टीट्यूट के इन वैज्ञानिकों की मदद से पहुंचा, जिन्होंने बीज, खाद के अलावा नई किस्म की खेती करने के सीधे-सीधे तरीके हम अपढ़ लोगों को सिखाए। आज हमारे हौंसले इस जानकारी के कारण और भी बढ़ गए हैं। बढ़ती उपज से हुई आय में अब हम किसी बड़े जमींदार से कम नहीं हैं। खारी जमीनों से 40–50 क्विंटल की पैदावार लेना, उसे नरेला मण्डी में जाकर बेचना हमारे लिए सचमुच एक सपना ही था।'

गेहूं की हरी-भरी लहराती फसल के बीच सूरजो ने बातचीत के दौरान बताया —मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे दो-तीन बच्चे नौकरी करते हैं और शहर से पैसा कमा कर लाते हैं। एक लड़का हम महिलाओं से मिलकर एक एकड़ के खेत में काम करता है। ज्यादातर तो हम सास-बहुएं ही काम कर लेती हैं। इससे पहली बार हमारे मन में आत्मनिर्भरता का विश्वास जागा है। हमारी दोहरी आय होती है—नौकरी से भी और खेती से भी। हमने पूसा–150 किस्म का बासमती धान अपने खेत में 50 मन तक उगाया है। चारे के लिए बरसीम भी इसी जमीन से पैदा की है। यह चारा और धान हम बेचती नहीं हैं। हमारी भैंस खाती है जो 8–10 लिटर दूध रोजाना देती है। यह सारा दूध घर में इस्तेमाल होता है।'

सूरजो और रिसालो दोनों इन तेरह वर्षों में बहुत ही अनुभवी किसान बन चुकी हैं। उनका दावा है कि यदि वैज्ञानिक उन्हें नई-नई बातें और तरीके बताते रहे तो वे इस छोटे से खेत में और भी ज्यादा करामात करके दिखा सकती हैं। दोनों ही महिलाएं अनुभव और विचार से बड़ी निर्भीक, उत्साही और आत्मविश्वासी बन गई हैं। आज उनके पास टेलीविजन भी है और फुरसत के वक्त जो प्रोग्राम देखती हैं उनसे भी कुछ नई बातें सुनने-सीखने को मिलती हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम के बारे में उनका एक सुझाव था कि इस कार्यक्रम में उन जैसे छोटे किसानों के काम को भी सारे देश में दिखाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि हमारी जिन्दगी तो ज्वार-बाजरे की सूखी रोटियां खाते हुए शोषण, बेगार और अज्ञान के अन्धेरे में कटी। हमें नफरत की नजर से देखा जाता था। मगर आज समाज में हमारी गिनती भी इज्जतदार किसानों में होने लगी है। अधिकारी, उत्पादक और विक्रेता बनने का सुख हमें उस समय मिलता है जब हम नरेला मण्डी में जाकर अपनी कीमती फसल को बेचते हैं।

यह चमत्कार है उनकी कड़ी मेहनत का। नए बीज और नई तकनीकों से खेती करने का। खेतों से अब इनकी आमदनी बढ़ी है। जहां जिला और विकास खण्डों में छोटे और अति छोटे किसानों के लिए विभिन्न एजेंसियां सुविधाएं और सहायता प्रदान कर रही हैं वहां यदि उन्हें वैज्ञानिकों का उचित मार्गदर्शन मिले तो गरीब किसान अवश्य थोड़ी से थोड़ी जमीन से अच्छी उपज प्राप्त कर सकता है। □

RN 708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi

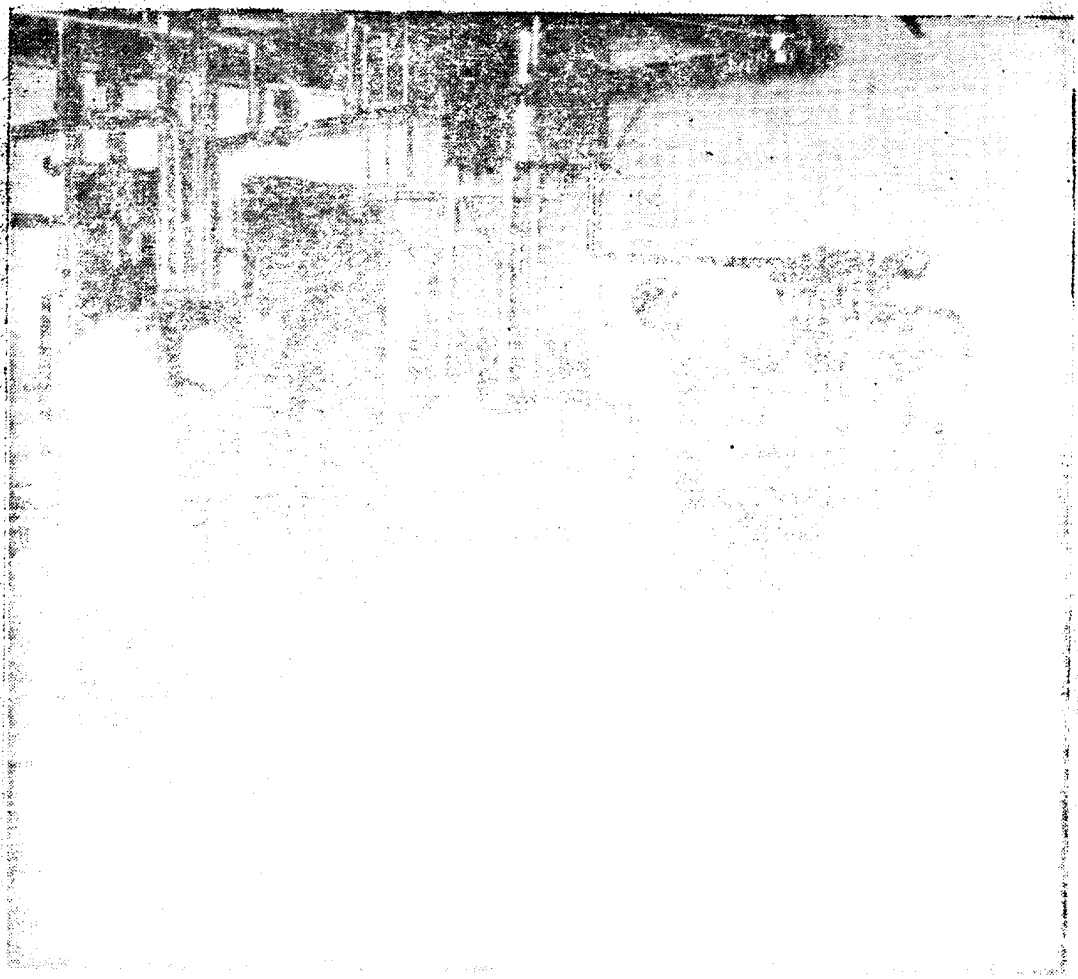

मशीन द्वारा बोतलों में दूध भरा जा रहा है

पौष्टिक चारे से अधिक दूध की प्राप्ति

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।